भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA

संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT

तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/NOTICE INVITING TENDER (NIT)
(सिर्फ़ ई-प्रोक्योरमेंट के ज़रिए) / (Only through e-procurement)

निविदा की अनुसूची (एसओटी)/ SCHEDULE OF TENDER (SOT)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (जिसे आगे 'बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक संख्या 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है, जो बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए है। निविदा दो हिस्सों में होगी (भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली)। निविदा MSTC लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक प्रदाताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए MSTC लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। ई-निविदा का कार्यक्रम इस प्रकार है:

ए. ई-निविदा का नाम	**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा**
बी. ई-निविदा संख्या	**आरबीआई/तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/5/26-27/ईटी/184**
सी. निविदा का तरीका	**ई-खरीद प्रणाली** (**भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली** और **पार्ट II - मूल्य बोली** (www.mstcecommerce.com/eprocn) के ज़रिए
डी. कार्य की अनुमानित लागत	लगभग **₹15,00,000/- (केवल पंद्रह लाख रुपये)** प्रति वर्ष सभी लागू करों सहित

इ. बयाना जमा राशि (ईएमडी)	**₹30,000/- (केवल तीस हज़ार रुपये) एनईएफटी या बीजी (अनुलग्नक ई के अनुसार)** के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में 09 जुलाई, 2026 को 13:00 बजे या उससे पहले प्रत्यक्ष रूप में जमा करने होंगे। **₹30,000/- के ईएमडी भुगतान के लिए NEFT की जानकारी** **लाभार्थी का नाम: संपदा<स्पेस> एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली<स्पेस>आपकी फर्म का नाम** **लाभार्थी खाता संख्या: 8614038** **IFSC: RBIS0THPA01 (5 वां और 10 वां अंक शून्य है)** **टिप्पणी: एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली** भेजे गए पैसे का प्रमाण, जिसमें लेन-देन नंबर और दूसरी जानकारी हों, ई-निविदा दस्तावेज़ के साथ ई-निविदा पोर्टल (एमएसटीसी) पर अपलोड करना होगा।
एफ. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	09 जुलाई, 2026 को 13:00 बजे
जी. एनआईटी / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट / एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है	22 जून, 2026
एच. बोली-पूर्व बैठक की तारीख (ऑफ़लाइन)	30 जून, 2026 को 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में।
आई. एमएसटीसी पोर्टल में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तारीख (www.mstcecommerce.com/eprocn)	02 जुलाई, 2026 को 18:00 बजे
जे. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	09 जुलाई, 2026 को 14:00 बजे
के. भाग-I (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खुलने की तारीख और समय भाग-II (यानी मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	09 जुलाई, 2026 को 15:00 बजे भाग-II मूल्य बोली सिर्फ़ उन बोलीदाता के लिए खोली जाएगी जिनकी पार्ट I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली आरबीआई, तिरुवनंतपुरम को मंज़ूर होगी। भाग II: मूल्य बोली खोलने की तारीख सफल बोलीदाता को वैध ई-मेल से बताई जाएगी।
एल. लेनदेन शुल्क	जैसा लागू हो और एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा चार्ज किया जाए। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट एमएसटीसी गेटवे / एनईएफटी / RTGS के ज़रिए एमएसटीसी लिमिटेड के नाम पर या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की सलाह के अनुसार करें।

एम. निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि से 90 दिन तथा आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार समझौता

2. प्रदाता ध्यान दें कि नए एमएसटीसी पोर्टल का रास्ता www.mstcecommerce.com →ई-प्रोक्योरमेंट →कॉमन पोर्टल →वेंडर लॉगिन है।

3. निविदा जमा करने के इच्छुक आवेदक को ज़रूरी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ी सबूत जमा करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। नहीं तो, बैंक उनके उम्मीदवारी को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। किसी भी हालत में बिना ईएमडी वाले निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4. बैंक सिर्फ़ कम कीमत का निविदा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है। बैंक किसी निविदा को पूरा या उसका कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदा को अस्वीकृत करने का भी अधिकार रखता है।

5. निविदा में किए जाने वाले बदलाव / सुधार, अगर भविष्य में जारी किए जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर बताया जाएगा और अखबारों में नहीं छापा जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक

(केरल और लक्षद्वीप)

भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ **ESTATE DEPARTMENT**
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

(Website: www.rbi.org.in)

(केवल ई-टेंडरिंग/e-Tendering only)

निविदा दस्तावेज़/Tender Document

तिरुवनंतपुरम स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक थ्रीडी व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग हेतु निविदा।

Tender for Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of one no.3D view X-Ray Baggage Inspection System for Bank's Main Office Building, Thiruvananthapuram

निविदाकार का नाम/**Name of the Tenderer:** _____

पता/**Address:** _____

_____

_____

_____

मोबाइल नं./Mobile no. _____

ई-मेल आईडी/E-mail ID _____

जमा करने की अंतिम तिथि/Due Date of Submission	**09 जुलाई 2026 (अपराह्न 2:00 बजे तक)/ July 09, 2026, 2.00 PM (up to 14:00hrs)**
निविदा की वैधता/Validity of Tender	निविदा के भाग 1 के खुलने की तिथि से 90 दिन और आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार/ 90 days from the date of opening of Part 1 of the tender and further extension of validity under mutual agreement.
बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)/Pre-Bid Meeting (Offline)	30 जून 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे/ 11:00 hrs. on June 30, 2026

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.

भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA

संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT

तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/NOTICE INVITING TENDER (NIT)
(सिर्फ़ ई-प्रोक्योरमेंट के ज़रिए) / (Only through e-procurement)

निविदा की अनुसूची (एसओटी)/ SCHEDULE OF TENDER (SOT)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (जिसे आगे 'बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एक संख्या 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है, जो बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए है। निविदा दो हिस्सों में होगी (भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II – मूल्य बोली)। निविदा MSTC लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक प्रदाताओं/ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए MSTC लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। ई-निविदा का कार्यक्रम इस प्रकार है:

ए. ई-निविदा का नाम	**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा**
बी. ई-निविदा संख्या	**आरबीआई/तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/5/26-27/ईटी/184**
सी. निविदा का तरीका	**ई-खरीद प्रणाली** (**भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली** और **पार्ट II - मूल्य बोली** (www.mstcecommerce.com/eprocn) के ज़रिए
डी. कार्य की अनुमानित लागत	लगभग **₹15,00,000/- (केवल पंद्रह लाख रुपये)** प्रति वर्ष सभी लागू करों सहित

इ. बयाना जमा राशि (ईएमडी)	**₹30,000/- (केवल तीस हज़ार रुपये) एनईएफटी या बीजी (अनुलग्नक ई के अनुसार)** के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में 09 जुलाई, 2026 को 13:00 बजे या उससे पहले प्रत्यक्ष रूप में जमा करने होंगे। **₹30,000/- के ईएमडी भुगतान के लिए NEFT की जानकारी** **लाभार्थी का नाम: संपदा<स्पेस> एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली<स्पेस>आपकी फर्म का नाम** **लाभार्थी खाता संख्या: 8614038** **IFSC: RBIS0THPA01 (5 वां और 10 वां अंक शून्य है)** **टिप्पणी: एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली** भेजे गए पैसे का प्रमाण, जिसमें लेन-देन नंबर और दूसरी जानकारी हों, ई-निविदा दस्तावेज़ के साथ ई-निविदा पोर्टल (एमएसटीसी) पर अपलोड करना होगा।
एफ. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	09 जुलाई, 2026 को 13:00 बजे
जी. एनआईटी / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट / एमएसटीसी पोर्टल पर देखने के लिए उपलब्ध है	22 जून, 2026
एच. बोली-पूर्व बैठक की तारीख (ऑफ़लाइन)	30 जून, 2026 को 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में।
आई. एमएसटीसी पोर्टल में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तारीख (www.mstcecommerce.com/eprocn)	02 जुलाई, 2026 को 18:00 बजे
जे. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	09 जुलाई, 2026 को 14:00 बजे

के. भाग-I (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खुलने की तारीख और समय भाग- II (यानी मूल्य बोली) खोलने की तारीख और समय	09 जुलाई, 2026 को 15:00 बजे भाग- II मूल्य बोली सिर्फ़ उन बोलीदाता के लिए खोली जाएगी जिनकी पार्ट I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली आरबीआई, तिरुवनंतपुरम को मंज़ूर होगी। भाग II: मूल्य बोली खोलने की तारीख सफल बोलीदाता को वैध ई-मेल से बताई जाएगी।
एल. लेनदेन शुल्क	जैसा लागू हो और एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा चार्ज किया जाए। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का पेमेंट एमएसटीसी गेटवे /एनईएफटी / RTGS के ज़रिए एमएसटीसी लिमिटेड के नाम पर या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड की सलाह के अनुसार करें।
एम. निविदा की वैधता	निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि से 90 दिन तथा आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार समझौता

2. प्रदाता ध्यान दें कि नए एमएसटीसी पोर्टल का रास्ता www.mstcecommerce.com →ई-प्रोक्योरमेंट →कॉमन पोर्टल →वेंडर लॉगिन है।

3. निविदा जमा करने के इच्छुक आवेदक को ज़रूरी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ी सबूत जमा करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। नहीं तो, बैंक उनके उम्मीदवारी को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। किसी भी हालत में बिना ईएमडी वाले निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4. बैंक सिर्फ़ कम कीमत का निविदा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है। बैंक किसी निविदा को पूरा या उसका कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदा को अस्वीकृत करने का भी अधिकार रखता है।

5. निविदा में किए जाने वाले बदलाव / सुधार, अगर भविष्य में जारी किए जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर बताया जाएगा और अखबारों में नहीं छापा जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक

(केरल और लक्षद्वीप)

अस्वीकरण/ DISCLAIMER

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पार्टियों को करार के संबंध में एक पृष्ठभूमि-परक जानकारी देने के लिए इस दस्तावेज को तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें अंतर्विष्ट जानकारी को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है, तथापि, इस दस्तावेज में अंतर्विष्ट या इसके बारे में दी गई किसी जानकारी की संपूर्णता या सटीकता के संबंध में न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसके कोई प्राधिकरण या एजेंसी या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता कोई वारंटी देते हैं अथवा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कोई व्यपदेशन करते हैं।

Reserve Bank of India, Estate Department, Thiruvananthapuram has prepared this document to give background information on the work to the interested parties. While Reserve Bank of India has taken due care in the preparation of the information contained herein and believe it to be in order, neither Reserve Bank of India nor any of its authorities or any of their respective officers, employees give any warranty or make any representations, express or implied as to the completeness or accuracy of the information contained in this document or any information which may be provided in association with it.

इस सूचना का अभिप्राय परिपूर्ण जानकारी देना नहीं है। इच्छुक पार्टियों के लिए ज़रूरी है कि वे स्वयं पूछताछ कर लें और उत्तरदाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे लिखित रूप में यह पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या परामर्शदाताओं के लिए बाध्यकारी नहीं है।

The information is not intended to be exhaustive. Interested parties are required to make their own inquiries and respondents will be required to confirm in writing that they have done so, and they do not rely only on the information provided by RBI in submitting the Tender. The information is provided on the basis that it is non – binding on Reserve Bank of India or any of its authorities or agencies or any of their respective officers, employees, agents or advisors.

भारतीय रिज़र्व बैंक करार के संबंध में आगे बढ़ने या करार के कन्फिगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय-सारणी को परिवर्तित करने या लागू प्रक्रम या प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में रुचि अभिव्यक्ति करने वाली किसी भी पार्टी पर आगे विचार न करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है।

Reserve Bank of India reserves the right not to proceed with the work or to change the configuration of the work, to alter the timetable reflected in this document or to change the process or procedure to be applied. It also reserves the right to decline to discuss the matter further with any party expressing interest.

रुचि अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति अदा नहीं की जाएगी। भविष्य में जारी निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

No reimbursement of cost of any type will be paid to persons or entities expressing interest. Any amendments / corrigendum to the tender, if any, issued in future will only be notified on the RBI Website and MSTC website and will not be published in the newspaper.

भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा
विभाग तिरुवनंतपुरम

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा

विषयसूची

क्रम संख्या	अनुभाग/अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ स.
		भाग I	
1	खंड I	ई-खरीद के लिए ज़रूरी निर्देश	10
2		निविदा सूचना	16
3		निविदा का प्रारूप	22
4	खंड II	समझौते के लेख	25
5	खंड III	बोलिदाताओंके लिए सामान्य निर्देश और कॉन्ट्रैक्ट की खास शर्तें	31
6	खंड IV	आगे बताई गई शर्तें	47
7	खंड V	इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट	65
8	खंड VI	परिशिष्ट I, II और III	66
9	परिशिष्ट I	चेक सूची	66
10	परिशिष्ट II	वाणिज्यिक बोली की अनुसूची	68
11	परिशिष्ट III	तकनीकी बोली की अनुसूची	69
12	धारा VII	तकनीकी निर्देश	71
13	धारा VIII	अनुलग्नक I से X	81
14	अनुबंध- I	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप	81
15	अनुबंध- II	उपक्रम	82
16	अनुबंध- III	भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोलिदाता की तरफ़ से अंडरटेकिंग / घोषणा / प्रमाणपत्र के लिए परफ़ॉर्मा	83
17	अनुबंध- IV	बोलिदाता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचन का प्रोफ़ॉर्मा	84
18	अनुबंध- V	बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	85
19	अनुबंध- VI	सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	87
20	अनुबंध- VII	पेटेंट अधिकारों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा	90
21	अनुबंध- VIII	प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित मुख्य स्टाफ़ का बायोडेटा	91

		पिछले 5 सालों में किए गए ऐसे ही कामों (XBIS सिस्टम) की जानकारी (हर काम की कीमत 15 लाख रुपये या उससे ज़्यादा हो)	
22	अनुबंध- IX	बोली लगाने वाले के काम के बारे में ग्राहक के प्रमाणपत्र का फ़ॉर्मेट	93
2 3	अनुबंध- एक्स	बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप	95
24	धारा IX	बिना मूल्य का मात्रा बिल	96
संदर्भ के लिए भाग II			
25	प्रारूप – I	मूल्य बोली	98

संपदा विभाग / Estate Department
तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

(सिर्फ़ एमएसटीसी पोर्टल के ज़रिए जमा करें)

ई निविदा नंबर: RBI/तिरुवनंतपुरम/एस्टेट/_____/26-27/ET/_____

भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

बोली-पूर्व बैठक की तारीख (ऑफ़लाइन) और समय	**30 जून, 2026 को पूवाह्न 11:00 बजे ऑफ़लाइन**
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख:	09 जुलाई, 2026 को अपराह्न1.00 बजे
तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख:	09 जुलाई, 2026 को अपराह्न 2.00 बजे
भाग-I खुलने की तिथि और समय (यानी, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली):	09 जुलाई, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे

खंड-I

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट कार्य है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस और उसके बाद के संशोधन (यदि कोई हो) को ध्यान से पढ़ें और समझें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं।
2) विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान की गई ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा ।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (RBI – केवल कार्यालय समय के दौरान):

क्रम संख्या	नाम	ईमेल आईडी	संपर्क नंबर।
1)	श्रीमती ऐश्वर्या सुब्रमण्यम, सहायक महाप्रबंधक	asubramanian1@rbi.org.in; estatethiro@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783030

2)	श्री रामकृष्ण एसटी (प्रबंधक-विद्युत)	ramakrishnast@rbi.org.in	080-2218 0260
3)	श्री प्रसाद चोरगे, सहायक प्रबंधक	prasadchorage@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783052

संपर्क व्यक्ति (MSTC Ltd) (सिर्फ़ कार्यालयीन समय में):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

फ़ोन नंबर :07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड – केवल कार्यालय समय के दौरान):

नाम	ईमेल आईडी	लैंडलाइन नंबर	मोबाइल नंबर
श्री गणेश मूर्ति	bmtvcmstc@mstcindia.in	0471-2326686	09176616410
श्री संतोष राजेंद्रन	skrajendran@mstcindia.co.in; tvcopn3@mstcindia.in	0471-2326686	08884600700

केरल शाखा कार्यालय विवरण:

पता: पहली मंजिल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल राज्य सचिवालय के सामने, महात्मा गांधी रोड, प्रतिमा, तिरुवनंतपुरम-695001	मेलआईडी: mstctvc@mstcindia.in	संपर्क: 0471-2326686

मार्गदर्शक:

1. सिस्टम अनिवार्यता:

विवरण के लिए, विक्रेता https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध **डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है**

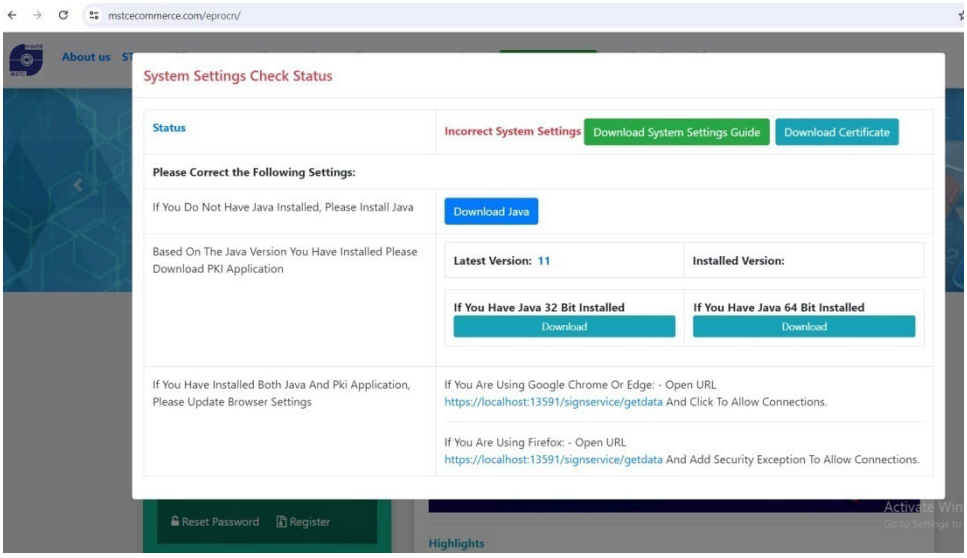

2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट : विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के विरुद्ध "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेन-देन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट : बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

5. ई-निविदा में बोली लगाना :

नोट: विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में ***दस्तावेज़ अपलोड करें*** लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता विशेष ई - निविदा के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के अनुदेशों का पालन करें।

a) बोलीदाताओं आवश्यक है कि वे ईएमडी, ई - निविदा शुल्क, यदि कोई हो, जमा करें और ई - निविदा के लिए अलग से लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा।
b) इस प्रक्रिया में तकनीकि वाणिज्कि बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है ।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, तो ही वे अपनी तकनीकि वाणिज्कि बोलियां और मूल्य बोलियां इंटरनेट के माध्यम से ही केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com →ई – प्रोक्यूरमेंट → नया सामान्य पोर्टल → बोली फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

c) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सहेजना होगा । फिर विक्रेता को टेक्नो - कमर्शियल बोली भरनी चाहिए । टेक्नो - कमर्शियल बोली भरने के बाद , बोलीदाता को अपनी टेक्नो - कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए ' सेव ' पर क्लिक करना चाहिए । ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो

जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए " सेव " पर क्लिक करना चाहिए । फिर एक बार जब टेक्नो - कमर्शियल बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए " फाइनल सबमिशन " बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद " बोली हटाएं " विकल्प दिखाया जाएगा । यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए ।

e) संपूर्ण ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

f) ई - निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि एवं समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा ।

g) ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी । किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति / कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा।

h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

i) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

j) - निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है । किसी भी बोलीदाता द्वारा ई - निविदा फ़्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई - निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है ।

k) माप की इकाई (यूओएम) ई - निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है । उद्धृत की जाने वाली दर ई - -निविदा फ्लोर / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए ।

निविदा के भाग । के खोलने के बाद निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से होने वाला कोई भी ऑर्डर उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है। वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें तथा www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे 'वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट' पर जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें और जीएसटी सहित कुल लागत की गणना सिस्टम द्वारा की जाएगी। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण नोट

मूल्य बोली में शब्दों की संख्या सीमित होने के कारण पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। दरें उद्धृत करने से पहले सभी ठेकेदारों को इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण तथा अन्य विनिर्देश/नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़नी चाहिए। निष्पादन एवं दर उद्देश्य के लिए, इस निविदा दस्तावेज में दी गई मात्राओं की अनुसूची में दिए गए विवरण को लागू किया जाएगा।

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा नोटिस

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए दो भागों (भाग-I और भाग-II) में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

1. ई-निविदाएं 22 जून, 2026 से देखे जा सकेंगे और बोली 02 जुलाई, 2026 से MSTC वेबसाइट पर जमा किए जा सकते हैं। सही तरीके से भरे हुए निविदा दस्तावेज़ 09 जुलाई, 2026 को दोपहर 02.00 बजे से पहले MSTC वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।

2. https://www.mstcecommerce.com वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और निविदा के व्यावसायिक नियम और शर्तें में बताई गई सभी जानकारी/दस्तावेज़ के साथ अपलोड किए जा सकते हैं।

3. **सिर्फ़ वही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) निविदा में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे जिनके पास ये चीज़ें होंगी:**

(i) फर्म 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) होनी चाहिए।

(ii) 30 जून, 2026 तक, पिछले 5 सालों में बड़े ऑफिस बिल्डिंग / कमर्शियल एस्टेट / इंडस्ट्रियल हाउस के लिए एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के SITC जैसे इसी तरह के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव। आवेदक को अपनी क्लाइंट की सूची होगी जिसमें पिछले 5 सालों में उनके द्वारा किए गए काम की जानकारी हों। लिस्ट में क्लाइंट का नाम, किए गए काम की कीमत, काम शुरू होने और खत्म होने की तारीख वगैरह जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम 5 साल के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी सबूत जमा करने होंगे। साल।

(iii) 01 जुलाई 2021 को या उसके बाद इसी तरह के कार्यों (एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) को सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो , अलग-अलग लागत इस प्रकार है:

(a) तीन काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर होगी।

या

(b) दो काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर होगी।

या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं हो।

(उपर्युक्त को स्थापित करने के लिए , निविदाकर्ता को प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए ऐसे समान कार्य/कार्यों के लिए कार्य आदेशों की सूची , जो 1 जुलाई , 2021 को या उसके बाद जारी किए गए हैं) और साथ ही प्रतिलिपियाँ विशिष्ट पूर्णता प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्रों में से)

(iv) निविदाकार के पास सेंट्रलाइज़्ड 24X7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए।

(v) निविदाकार को काम का दायरा और महत्व बताते हुए डिटेल्ड वर्क ऑर्डर की कॉपी और पात्रता-प्राप्त कामों की जानकारी के लिए समापन प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जैसा कि (Annexure-IX) में बताया गया है। बोलीदाता को अपने क्लाइंट से बिड के साथ बताए गए मॉडल की कम से कम 1 एक्स-रे बैगेज मशीन का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा और यह प्रमाणपत्र कि वे कम से कम 5 साल से काम कर रही हैं (या) 2 मशीनें, कमीशनिंग की तारीख से 3 साल के लिए।

(vi) बोली लगाने वाले / OEM ने पिछले 5 वर्षों में सरकारी संगठनों को कम से कम 5 X-रे बैगेज निरीक्षण उपकरण सप्लाई किए हों; संबंधित परचेज़ ऑर्डर और समापन प्रमाणपत्र अपलोड/जमा करने होंगे।
(vii) न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹15.00 लाख पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। (चार्टेड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट या CA से टर्नओवर सर्टिफिकेट, ITRs की कॉपी के साथ जमा करना होगा)
(viii) आवेदक के बैंकर द्वारा खास तौर पर काम के मकसद के लिए जारी किया गया बैंकर प्रमाणपत्र, ₹15.00 लाख की रकम के लिए देना होगा (Annexure-X)
(ix) तिरुवनंतपुरम में बिक्री के बाद की सेवा देने के लिए एक सर्विस सेट अप करें (एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा)।
(x) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा जारी विकिरण सुरक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए।

4. नीचे दिए गए दस्तावेज़ को अलग-अलग फाइलों (PDF या JPEG फॉर्मेट में) में तैयार और स्कैन करके बोली ऑनलाइन जमा करते समय अपलोड करना होगा। ये दस्तावेज़ बोली जमा करने की तय तारीख और समय से पहले RBI को भी जमा करने होंगे। निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अपनी योग्यता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए नीचे दिए गए ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

ए)	फर्म की संरचना	कॉन्ट्रैक्टर की फर्म की पूरी जानकारी (चाहे कॉन्ट्रैक्टर कोई व्यक्ति हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या कंपनी वगैरह) डिटेल में, नाम और पता, पार्टनर के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन/पावर ऑफ़ अटॉर्नी/दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ जमा करनी होगी।

बी)	प्रमाण पत्र	निगमन प्रमाणपत्र की प्रति, GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी, PAN की कॉपी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) से जारी रेडिएशन का सेफ्टी प्रमाणपत्र
सी)	काम का अनुभव और तय समय में तय कीमत के मिलते-जुलते काम पूरे करना	काम के अनुभव के सबूत के तौर पर, क्वालिफाइंग कामों के लिए डिटेल्ड वर्क ऑर्डर की कॉपी, जिसमें काम देने की तारीख, काम की कीमत, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय वगैरह लिखा हो, और उससे जुड़े कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसमें काम पूरा होने की असली तारीख और किए गए वैसे ही कामों की असली कीमत लिखी हो, साथ में लगाने होंगे। अगर आपको किसी सेंटर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने का कोई पिछला अनुभव है, तो उसके दस्तावेज़ी सबूत के साथ डिटेल्स भी देनी होंगी।
डी)	निर्दिष्ट अवधि के दौरान टर्नओवर	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
ई)	अंकेक्षित वित्तीय अभिकथन	पिछले 3 सालों के टर्नओवर के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, यानी (2023-24, 2024-25 और 2025-26)
एफ)	ईएमडी का प्रमाण	EMD भेजने का सबूत/ बयाना जमा के बदले बैंक गारंटी की कॉपी
जी)	बैंकर्स और उनके मौजूदा कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव्स के नाम और पते	अपने बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखी हुई जानकारी, साथ ही कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूटिव (यानी वे लोग जिनसे ज़रूरत पड़ने पर बैंक अपने बैंकर्स के ऑफिस में संपर्क कर सकता है) की पूरी जानकारी, जैसे नाम, पोस्टल एड्रेस, ईमेल ID, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर वगैरह देनी होगी।
एच)	बैंक खाते का विवरण	उनके बैंक खाते की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया वगैरह।
मैं)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	क्लाइंट के हिसाब से काम के नाम, काम पूरा होने का साल, दिए गए काम की असली कीमत, कॉन्ट्रैक्ट में तय किया गया काम पूरा होने का समय और काम पूरा होने में लगा असली समय, जिन अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के तहत काम

		किया गया/किए गए, उनके नाम और संपर्क की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
जे)	एएमसी/बिक्री के बाद सेवा	निविदा का भाग II खोलने के लिए पात्र होने के लिए PSU / एयरपोर्ट / सेंट्रल गवर्नमेंट / RBI से संतोषजनक बिना रुकावट सेवा प्रदान प्रमाणपत्र ज़रूरी है।
क)	ग्राहक का प्रमाणपत्र	पात्रता-प्राप्त कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में क्लाइंट प्रमाणपत्र
एल)	तिरुवनंतपुरम में सर्विस सेटअप की जानकारी	निवास प्रमाणपत्र
एम)	अनुलग्नक (धारा VIII)	प्रासंगिक अनुलग्नक
एन)	प्रस्तावित काम से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी	

नोट 1:- (क्लाइंट प्रमाणपत्र के बारे में):

- सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के मामले में प्रमाणपत्र पर संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उसके बराबर या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी के साइन होने चाहिए।

- सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के अलावा दूसरे विभाग के मामले में, ऊपर बताए गए प्रमाणपत्र के अलावा, किए गए काम से जुड़े पेमेंट से मैच करते हुए TDS प्रमाणपत्र भी संलग्न करने होंगे।

नोट 2:- निविदाकार को ऊपर दिए गए दस्तावेज़, ओरिजिनल रूप में, बैंक के मांगने पर जमा करने होंगे।

5. ऊपर दिए गए दस्तावेज़ जमा न करने पर निविदा देने वाले को अपात्र किया जा सकता है। अगर निविदा देने वाला बैंक को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो बैंक के पास निविदा देने वाले के जमा किए गए निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

6. निविदा (भाग I और भाग II) MSTC के ई-निविदा पोर्टल के ज़रिए जमा किए जाएँगे। निविदा के भाग-I में प्रस्तावित काम के लिए बैंक की मानक तकनीकी और व्यावसायिक नियम और शर्तें, निविदाकार का कवरिंग लेटर, निविदा देने वालों की अतिरिक्त शर्तें, अगर कोई हों, शामिल होंगी। जो निविदाकार पूर्व-योग्यता मानदंड की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी तकनीकी और व्यावसायिक जानकारी को

इवैल्यूएशन के लिए नहीं माना जाएगा। पार्ट II की बिड सिर्फ़ उन्हीं निविदा देने वालों की होगी जो तकनीकी और व्यावसायिक शर्तों/जानकारी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भाग II के खुलने की जानकारी पात्र निविदाकार को दी जाएगी।

7. ₹30,000/- की EMD, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम पर डिमांड ड्राफ़्ट/NEFT के रूप में तिरुवनंतपुरम में देनी होगी या किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी की गई इर्रिवोकेबल बैंक गारंटी, जो बैंक के स्टैंडर्ड प्रोफ़ॉर्मा में छह महीने के लिए वैध हो, जो संपदा विभाग, RBI, तिरुवनंतपुरम को 18 सितंबर, 2017 तक या उससे पहले जमा किए गए निविदा फ़ॉर्म के पार्ट I में उपलब्ध हो। 09 जुलाई, 2026 को दोपहर 1.00 बजे तक।

₹30,000/- की अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट , भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के बैंक खाते में भेजी जाएगी। NEFT/RTGS ट्रांज़ैक्शन के लिए खाता जानकारी इस तरह हैं। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए EMD काफी पहले भेज दें।

बेनिफिशियरी का नाम: RBI तिरुवनंतपुरम
IFSC: RBIS0THPA01 (0 शून्य है)
खाता संख्या: 8614038
टिप्पणी: एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम

8. आवेदक/निविदाकार को स्कैन की हुई कॉपी MSTC पोर्टल पर 09 जुलाई, 2026 को दोपहर 2.00 बजे तक अपलोड करनी होगी।

a. Annex-IX में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार क्वालिफाइड कामों के लिए, उन्होंने इस नोटिस में बताए गए एलिजिबिलिटी (प्री-क्वालिफिकेशन) क्राइटेरिया के हिसाब से "पात्र काम" किए हैं।

b. **अपने बैंकर/बैंकरों से Annex – X में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार बैंकर सर्टिफिकेट।**

सर्टिफिकेट क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पते पर होने चाहिए और उन्हें उनके एप्लीकेशन/टेंडर के साथ जमा/अपलोड करना होगा।

क्लाइंट का सर्टिफिकेट तभी माना जाएगा जब उस पर किसी सरकारी/सेमी-गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन या PSU के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या उसके बराबर रैंक के अधिकारी के साइन हों और उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर को उसके किए गए काम के लिए मिले पेमेंट का सही सबूत हो। प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा जारी क्लाइंट के सर्टिफिकेट के साथ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ऊपर दिए गए सर्टिफिकेट के बिना मिले एप्लीकेशन/टेंडर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। बैंक को इन सर्टिफिकेट को खुद से वेरिफाई करने का अधिकार होगा।

बैंक टेंडर की प्राइस बिड के मूल्यांकन से पहले इन रिपोर्ट्स का मूल्यांकन करेगा। अगर किसी भी समय किसी टेंडरर के पास टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी योग्यता नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट्स और/या उसके बैंकर्स से मिली उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है,

तो बैंक टेंडर का पार्ट-I खुलने के बाद भी उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

9. जो एप्लिकेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरी एलिजिबिलिटी के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री सबूत देकर बैंक को सैटिस्फाई करना होगा और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उनकी बिड्स को रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

बैंक सबसे कम कीमत वाला टेंडर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है और किसी भी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी टेंडर को रिजेक्ट करने का भी अधिकार रखता है।

भविष्य में टेंडर में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो उसे सिर्फ़ RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है।

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम - 695033

<u>निविदा फार्म / निविदा का फॉर्म</u>

क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय निदेशक स्थान:
भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक:

तिरुवनंतपुरम

महोदय ,

इसमें इसके पश्चात ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों , ड्राइंगों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच कर और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य-तथल देखकर एवं जांच कर तथा निविदा को प्रभावित करने वाली तत्संबंधी अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर, मैं / हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न की गई मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित जरूरतों पर निविदा में दिए गए करार के अंतर्नियमों, अनुबंधदारों के लिए विशेष अनुदेशों, अनुबंधदारों को सामान्य अनुदेश तथा विशेष शर्तों, शर्तों मात्राओं की अनुसूची एवं निविदा की शर्तों में लिखित रूप में दिए गए विनिर्देशों, डिजाइनों, ड्राइंगों और डाटा शीट और मात्राओं की अनुसूची और इसके लिये उपलब्ध करायी गयी तैनात के साथ तथा अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हों, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य को अंजाम देने का प्रस्ताव रखता हूँ/रखते हैं ।

मेमोरेंडम में बताए गए कामों से जुड़े स्पेसिफिकेशन्स, ड्राइंग्स, डिज़ाइन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल की जांच करने के बाद, और उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों की साइट पर जाकर जांच करने के बाद, टेंडर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल करने के बाद, हम उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों को, टाइम मेमोरेंडम में बताए गए समय के अंदर, साथ में दिए गए क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताई गई दरों पर और सभी मामलों में टेंडर की शर्तों, एग्रीमेंट के आर्टिकल्स, स्पेशल शर्तों, क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन्स, ड्राइंग्स और लिखित निर्देशों के साथ और हमारे द्वारा दिए गए सामान के साथ, और बाकी सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार, जहाँ तक वे लागू हो सकती हैं, सप्लाई और पूरा करने का ऑफर देते हैं।

ज्ञापन **/ज्ञापन**

(ए)	कार्य का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम के लिए एक 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिज़ाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए निविदा
(बी)	गैल की कीमत (रु) अनुमानित लागत (रु.)	15.00 लाख रुपये
(सी)	बयाना / बयाना जमा	सभी बोलीदाताओं से 30,000/- रुपये
(डी)	पेमेंट का प्रकार / पेमेंट का तरीका	व्यावसायिक परिस्थितियों की मद संख्या 3.18 के अनुसार कमर्शियल शर्तों के आइटम नंबर 3.18 के अनुसार।
(ई)	कार्य पूरा करने का अनुमानित समय	कार्य आदेश के 10 वें दिन से 45 दिन वर्क ऑर्डर के 10 वें दिन से 45 दिन ।
(एफ)	बिल के पटाने की अवधि	अंतिम बिल- 45 दिन अंतिम बिल- 45 दिन

मैं / हम सहमत हैं: मैं / हम सहमत हैं:

निविदा स्वीकार होने पर मैं/हम यहां संलग्न संविदा को उक्त शर्तों के निबंधों एवं प्रावधानों को पूरा करने और उसका पालन करने के लिए या उसमें चूक करने पर संविदा की लिखित में स्वीकृति सहित उक्त शर्तों में वर्णित बयाना जमा राशि जब्त किये जाने और भारतीय रिज़र्व बैंक को अदा करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इसके साथ दी गई संविदा की शर्तों के नियमों और शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हूँ, जहाँ तक वे लागू हों, या उनका पालन न करने पर, शर्तों में बताई गई रकम ज़ब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को दे देंगे।

मैं / हम यह बात समझना हैं कि आपके पास बिना कोई कारण प्रकट सभी या किसी टेंडर को स्वीकार करने या निफ्टी करने का अधिकार सुरक्षित है। हमने ₹30,000/- की राशि राजद जमा राशि के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा की है जिस पर कोई ब्याज समर्पित नहीं होगा। यदि हम सूचना किए गए अनुसार संविदा को फांसी करने में असफलता रहना हैं तो हम है बात से सहमति है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा है राशि को चोरी कर लिया जाएगा।

मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक में बयाना राशि के तौर पर ₹30,000/- जमा किए हैं, इस रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर हम संविदा पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह रकम हम भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त करने देंगे।

हमारे बैंकर के ब्यौरे निम्न हैं / हमारे बैंकरों का विवरण हैं :

हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं

(मैं) _____

(ii) _____

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के पार्टनर के नाम

फर्म के पार्टनर का नाम _____
हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत
या या

संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की शक्ति रखने वाले व्यक्ति का नाम
पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम _____
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए

(भागीदारी विलेख और पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच प्रति लगाई जाए)
(पार्टनरशिप डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी अटैच करें)

भवदीय आपका,

_____
(ठेकेदार के हस्ताक्षर ठेकेदार के हस्ताक्षर

साक्षी गवाह
(1) _____
(हस्ताक्षर हस्ताक्षर)
पता पता

(2) _____
(हस्ताक्षर हस्ताक्षर)
पता पता

_____

<u>खंड II</u>

समझौते के लेख

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद _____ दिन भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम-695033, जिसका मुख्य कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) के बीच एक पक्ष और
दूसरे पक्ष का
_____
_____ (जिसे आगे से "ठेकेदार" कहा जाएगा)।

जबकि नियोक्ता इच्छुक है **भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग** का काम कर रहा है और किए जाने वाले कामों के बारे में बताते हुए स्पेसिफिकेशन्स और क्वांटिटी का शेड्यूल तय किया है। और जबकि उक्त स्पेसिफिकेशन्स और मात्राओं की अनुसूची पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिन सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) के अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देश में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित दर पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो उसमें तय राशि या उसके तहत देय अन्य राशि के बराबर होगी ₹ -------- (इसके बाद "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा)। कार्य आदेश संख्या / ...../..... ..../ 2026-27 दिनांकित

एस.	विवरण	राशि (₹)
1	कार्य की कुल पूंजीगत लागत	
2	12 महीने की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद हर साल कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस चार्ज	

अब यह इस प्रकार सहमत है:

1. बताई गई शर्तों में तय समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली संविदा रकम के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर बताई गई शर्तों के तहत और उनके हिसाब से, बताई गई स्पेसिफिकेशन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताया गया काम पूरा करेगा।

2. नियोक्ता ठेकेदार को बताई गई संविदा रकम या कोई दूसरी रकम, जो देनी होगी, शर्तों में बताए गए समय और तरीके से देगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक कामों की देखरेख, बिलों के सर्टिफ़िकेशन, भुगतान करने और संविदा की अलग-अलग शर्तों और नियमों को लागू करने का इंतज़ाम और मैनेजमेंट करेगा।

4. उक्त शर्तों और विभिन्न अनुसूचियों को इस प्रकार पढ़ा और समझा जाएगा
इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनने वाले, और इसके पक्षकार क्रमशः इन शर्तों का पालन करेंगे, खुद को इन शर्तों के अधीन रखेंगे और अपनी ओर से इन शर्तों में दिए गए एग्रीमेंट को पूरा करेंगे।

5. यहां बताया गया करार और दस्तावेज़ इस संविदा का आधार होंगे।

6. यह संविदा न तो एक तय एकमुश्त संविदा है और न ही पीस कार्य संविदा है, बल्कि यह **डिज़ाइन के संबंध में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट है। RBI, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली की सप्लाई , इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का पेमेंट** असल में मापी गई मात्रा के हिसाब से, रेट्स के शेड्यूल और संभावित मात्रा में दिए गए रेट पर या बताई गई शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

7. ठेकेदार, बताए गए कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

8. नियोक्ता इस संविदा पर बिना किसी असर के, काम के किसी भी वस्तु को जोड़कर या हटाकर या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर काम के स्वरूप को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।

9. इस संविदा में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा और ठेकेदार इस बात से सहमत है कि वह साइट मिलने के तुरंत बाद या शर्तों में बताई गई काम शुरू करने की तय तारीख से, जो भी बाद में हो, काम शुरू कर देगा और समय बढ़ाने के नियमों के तहत **45 दिनों के अंदर पूरा काम पूरा कर देगा।**

10. **व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध** :
ठेकेदार इस अनुबंध के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई प्रणाली को बैंक को प्रणाली सौंपने से दोष देयता अवधि के एक वर्ष के दौरान और कम से कम सात सालों की आगे की अवधि के दौरान रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मंज़ूर शर्तों और नियमों के मुताबिक,

उनके टेंडर में बताए गए रेट पर एक साल की वारंटी के बाद कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालों तक सर्विस दी जाएगी। संतोषजनक सर्विस देने और सर्विस रिपोर्ट जमा करने पर कॉम्प्रिहेंसिव सालाना मेंटेनेंस सर्विस चार्ज छमाही आधार पर दिया जाएगा।

पूरी सालाना मेंटेनेंस सर्विस के चार्ज में रखरखाव संविदा के समय के दौरान एक्स-रे बैगेज के किसी भी हिस्से को बदलने का चार्ज भी शामिल होगा। एक्स-रे बैगेज प्रणाली की सर्विसिंग की जाएगी। रखरखाव संविदा को एक साल की वारंटी के बाद कम से कम **सात** साल के एक्स्ट्रा समय के लिए रिन्यू किया जाएगा । संविदा नवीनीकरण करते समय नए संविदा का अमाउंट नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा।

$$A_C = A_P \{10+65 \times (EPI_C/EPI_P) + 25 \times (CPI_C/CPI_P)\} \times 1/100$$

Ac	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि
Ap	पिछले वर्ष की अनुबंध राशि
EPIc	इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले इलेक्ट्रिकल उपकरण, अप्लायंसेज और पार्ट्स के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स
EPIp	पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले इलेक्ट्रिकल उपकरण, अप्लायंसेज और पार्ट्स के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स
CPIc	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) चालू साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
CPIp	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले

11. इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान सिर्फ़ तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे।

12. इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से पैदा होने वाले सभी झगड़े तिरुवनंतपुरम में पैदा हुए माने जाएंगे और सिर्फ़ तिरुवनंतपुरम की अदालतों को ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।

13. इस संविदा के कई हिस्से ठेकेदार ने पढ़ लिए हैं और पूरी तरह समझ लिए हैं। ठेकेदार निविदा की गई क्वांटिटी से ज़्यादा के पेमेंट का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के इंजीनियर-इन-चार्ज से खास लिखित निर्देश न मिले।
ठेकेदार को "वर्कप्लेस पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013 या/और उसके किसी भी कानूनी बदलाव" के नियमों का पालन करना होगा। बैंक के अंदर अपने कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत के मामले में ठेकेदार पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। शिकायत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय शिकायत समिति के सामने फाइल की जाएगी और बैंक शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगा। कॉ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय शिकायत समिति संज्ञान लेगी। अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल होते हैं, तो ठेकेदार को किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होना होगा, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट साबित हो जाता है, तो बैंक के कर्मचारियों को कोई भी पैसे की राहत। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

14. ठेकेदार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा की जानकारी को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे की वजह से एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।
किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, गैर-प्रकटीकरण और गोपनियता के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

इसके साक्ष्य के रूप में नियोक्ता और यदि ठेकेदार एक ठेकेदार है तो उन्होंने अपने-अपने हस्ताक्षर साझेदारी या किसी व्यक्ति को सौंप दिए हैं।
ये ऊपर लिखे गए दिन और साल को दिखाते हैं।

इसके सबूत के तौर पर, अगर ठेकेदार है, तो नियोक्ता ने अपने कंपनी के ऑथराइज़्ड अधिकारी के ज़रिए इन तोहफ़ों को अपने हाथों में ले लिया है और ठेकेदार ने अपनी कॉमन सील इस पर लगवा ली है और इन तोहफ़ों को अपनी तरफ़ से बनवाया है, वह दिन और साल जो ऊपर लिखा है।

हस्ताक्षर खंड

अगर कॉन्ट्रैक्टर पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है	इसके सबूत के तौर पर बैंक और कॉन्ट्रैक्टर ने इन तोहफ़ों और इनकी दो कॉपी पर अपने-अपने दस्तखत किए हैं, जो ऊपर लिखे गए दिन और साल के हैं।
अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई कंपनी है	इसके सबूत के तौर पर बैंक ने अपने सही तरीके से ऑथराइज़्ड अधिकारी के ज़रिए इन तोहफ़ों पर अपना दस्तखत किया है और कॉन्ट्रैक्टर ने इस पर अपनी कॉमन सील लगवाई है और इन तोहफ़ों और इनकी दो डुप्लीकेट को अपनी तरफ़ से ऊपर लिखे पहले दिन और साल में बनवाया है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित
श्री .....
(नाम और पदनाम)
.....
.....। की उपस्थिति में
(1)
पता

(2)
पता
.....
.....
.....

गवाहों

हस्ताक्षर और वितरित ..... द्वारा	अगर पार्ट पार्टनरशिप फर्म या कोई व्यक्ति है तो सभी पार्टनर्स या सभी की ओर से साइन किए जाने चाहिए।
1)... पता	

.....

.....

2) .....

पता

.....

....

गवाहों

की सामान्य मुहर

पारित प्रस्तावों के अनुसार इसे यहां जोड़ा गया

इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में

.....

.....

.....

की उपस्थिति में

(1)

.....

(2)

.....

जिन डायरेक्टर्स ने इन प्रेजेंट्स पर साइन किए हैं, उन्हें इनकी मौजूदगी में लिया जाएगा।

(1) .....

(2) .....

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

श्री .....

और सही तरीके से वकील बनाया गया है।

अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉमन सील के तहत साइन करता है, तो सिग्नेचर क्लॉज़ आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन्स में उनके सीलिंग क्लॉज़ से मैच करना चाहिए।

चाहे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से साइन करता है।

चाहे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से साइन करता है।

खंड III
निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

3.0 निविदा प्रस्तुत करना

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के काम के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर मंगाए गए हैं। टेंडर MSTC ई-कॉमर्स साइट पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

टेंडर के कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस में बताए गए डॉक्यूमेंट्स।
3.1 सिर्फ़ वही **ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM)** टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल होंगे जिनके पास ये चीज़ें होंगी:

(i) फर्म को 3डी व्यू एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए।
(ii) 30 जून, 2026 तक पिछले 5 सालों में बड़े ऑफिस बिल्डिंग / कमर्शियल एस्टेट / इंडस्ट्रियल हाउस के लिए एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम के SITC जैसे इसी तरह के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव:
01 जुलाई 2021 को या उसके बाद इसी तरह के कार्य (एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग) सफलतापूर्वक निष्पादित किए हों , जिनकी व्यक्तिगत लागत निम्नानुसार हो:
तीन काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर होगी।

या

(b) दो काम, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर होगी।

या

(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं हो।

(iv) टेंडर देने वालों के पास सेंट्रलाइज़्ड 24X7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए।
(v) टेंडर देने वालों को काम का स्कोप और वैल्यू बताते हुए डिटेल्ड वर्क ऑर्डर की कॉपी और क्वालिफाइंग कामों के लिए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। टेंडर देने वालों को (Annexure-IX) के अनुसार सभी डिटेल्स के साथ पूरे हो चुके कामों की लिस्ट भी देनी होगी। बिडर को अपने क्लाइंट्स से बिड के साथ बताए गए मॉडल की कम से कम 1 एक्स-रे बैगेज मशीन का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जो टेंडर बंद होने की तारीख तक कमीशनिंग की तारीख से कम से कम 5 साल से काम कर रही हो।

(छठी) बिडर / OEM को पिछले 5 सालों में सरकारी ऑर्गनाइज़ेशन को कम से कम 2 X-ray बैगेज इंस्पेक्शन इक्विपमेंट सप्लाई किए होने चाहिए, चाहे परचेज़ ऑर्डर हों या कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट।
(vii) न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹15.00 लाख पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सपोर्ट से।
(viii) आवेदक के बैंकर द्वारा खास तौर पर काम के मकसद के लिए जारी किया गया बैंकर सर्टिफिकेट, **₹15.00 लाख की रकम के लिए देना होगा (Annexure-X)**
(ix) तिरुवनंतपुरम में आफ्टर सेल्स सर्विस देने के लिए एक सर्विस सेट अप करें (एड्रेस प्रूफ जमा करना होगा)।

(x) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा जारी विकिरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

अगर कोई फर्म ऊपर दिए गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है, तो उसका दिया गया टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन टेंडर में हिस्सा लेने वाली सभी फर्मों को टेंडर खुलने की आखिरी तारीख से पहले EMD जमा करना होगा और उसकी स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

3.2 प्रीबिड मीटिंग 30 जून, 2026 को सुबह 11.00 बजे होगी टेंडर के बारे में कुछ भी डिस्कस करने / क्लियर करने के लिए। सभी टेंडर करने वालों को सलाह दी जाती है कि वे टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें और प्री-बिड मीटिंग में शामिल होने की अपनी इच्छा estatethiro@rbi.org.in पर ईमेल से बताएं। या फिर, टेंडर करने वाले लोग क्लैरिफिकेशन के लिए ऊपर बताई गई प्री-बिड मीटिंग से पहले prasadchorage@rbi.org.in / ramakrishnast@rbi.org.in पर ईमेल से अपने सवाल भेज सकते हैं। ऊपर दिए गए ईमेल पर पहले से जानकारी और बैंक से कन्फर्मेशन मिलने पर, टेंडर डालने वालों को साइट विज़िट की सुविधा दी जाएगी ताकि उन्हें काम और साइट का पहला अनुभव मिल सके।

3.3 टेंडर दो हिस्सों में ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, पार्ट I में ऑफर की टेक्निकल और कमर्शियल डिटेल्स होंगी और पार्ट II में सिर्फ कीमतें होंगी। पार्ट I उसी दिन दोपहर 3:00 बजे खोला जाएगा और उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन किया जाएगा। जो फर्म सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगी और टेक्निकली क्वालिफाइड होंगी, उन्हें पार्ट II (प्राइस बिड) खोलने के लिए माना जाएगा। पार्ट II अगली तारीख को ऑनलाइन खोला जाएगा, जिसकी जानकारी टेंडर देने वालों को पहले से दे दी जाएगी।

3.4 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी टेंडर को, पूरे या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक किसी भी फर्म का टेंडर स्वीकार करने का भी अधिकार रखता है। टेंडर देने वालों से अनुरोध है कि वे सिर्फ़ यूनिट रेट बताएं और रकम वेबसाइट द्वारा अपने आप कैलकुलेट कर ली जाएगी।

3.5 टेंडर देने वालों को अर्नेस्ट मनी के तौर पर NEFT या बैंक गारंटी से 30,000/- रुपये (सिर्फ़ तीस हज़ार रुपये) देने होंगे, जो किसी शेड्यूल्ड बैंक से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, तिरुवनंतपुरम के नाम पर होगा। सफल टेंडर देने वाले का अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट जारी होने पर बिना किसी ब्याज के जारी कर दिया जाएगा। असफल टेंडर देने वाले का अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट काम मिलने के बाद बिना किसी ब्याज के उन्हें जारी कर दिया जाएगा। सफल टेंडर देने वाले के मामले में, अगर वह काम पर नहीं आता/मना कर देता है और तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी EMD ज़ब्त कर ली जाएगी।

3.6 टेंडर, टेंडर के पार्ट I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैलिड रहेंगे **।**

3.7 उद्धृत दरों में सभी कर, शुल्क, परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण, बीमा इत्यादि शामिल होंगे और यह साइट पर विधिवत स्थापित और चालू किए गए संपूर्ण कार्य के लिए होंगे। उद्धृत मूल्य अनुबंध की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेंगे और विदेशी मुद्रा या किसी अन्य कर, शुल्क, शुल्क आदि के परिवर्तनों के अधीन नहीं होंगे। बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। निविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी भाग या घटकों के आयात के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। निविदाकार के पास

जीएसटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। निविदाकारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी सहित अपनी दरें उद्धृत करनी चाहिए। बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

3.8 भाग I – तकनीकी और वाणिज्यिक

3.8.1 पार्ट I में बिना कीमत वाला टेंडर होगा जिसमें पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगी, जिसमें ड्रॉइंग और डॉक्यूमेंट्स और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल हैं। टेंडर के टेक्निकल पहलू जैसे इक्विपमेंट डेटा शीट, टेस्ट और इंस्पेक्शन, मटीरियल के मेक का टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ड्रॉइंग्स नीचे दी गई चीज़ों के साथ अपलोड किए जाएंगे:

3.8.2 भारत में किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी NEFT / बैंक गारंटी (BG) के रूप में बयाना राशि।
3.8.3 टेंडर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की सील के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/ऑथराइजेशन।
3.8.4 कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर कोई डेविएशन हो, तो उसकी लिस्ट।
3.8.5 तकनीकी स्पेसिफिकेशन में अगर कोई डेविएशन हो, तो उसकी लिस्ट।
3.8.6 कोई और टेक्निकल जानकारी जो टेंडर देने वाला देना चाहे।
3.8.7 टेंडर देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे टेंडर डालने से पहले इंस्टॉलेशन की जगह पर जाएं और साइट की कंडीशन से खुद को परिचित कर लें।
3.8.8 टेंडर देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की जनरल कंडीशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर ही टेंडर सबमिट करें, और कोई भी बदलाव न करें। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट्स में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने से कीमत पर कोई असर पड़ता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसे बताई गई कीमत में शामिल किया जाना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस से अलग टेंडर रिजेक्ट किया जा सकता है।

3.8.9 टेंडर देने वालों को, डिज़ाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के संबंध में, उनके पास मौजूद या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी तीसरे पक्ष के पेटेंट, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड डिज़ाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स की पूरी जानकारी देनी होगी।

3.9 कार्य का दायरा

3.9.1 प्रस्तावित काम का दायरा इस टेंडर डॉक्यूमेंट में दी गई मात्रा और स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल के अनुसार होगा। शामिल किए गए कामों के कुछ मुख्य आइटम नीचे दिए गए हैं (संक्षेप में):

पूरे काम की प्लानिंग हर तरह से पूरी करना, साइट सर्वे के हिसाब से क्वांटिटी को डिज़ाइन और फ़ाइनल करना, खरीदने से पहले क्वांटिटी के लिए मंज़ूरी लेना।
ii. इक्विपमेंट को चालू करने के लिए ज़रूरी सभी सामान की सप्लाई, तय मात्रा के हिसाब से।
iii. पूरे सिस्टम का इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग
iv. डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना, जिसमें मैनुअल वगैरह शामिल हैं।
बैंक के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना
vi. सिस्टम को बैंक को सौंपना

• बैंक को सौंपने से पहले एक्सबीआईएस की स्थापना का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन किया जाएगा ।

3.9.2 टेंडर देने वाले को अपने टेंडर में सिस्टम/सब-सिस्टम के काम करने का पूरा ब्यौरा और उनकी पावर की ज़रूरतें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स में मांगी गई जानकारी के अलावा, सभी ज़रूरी ब्रोशर/साहित्य वगैरह के साथ बतानी चाहिए।

3.9.3 टेंडर देने वाला ध्यान से स्पेसिफिकेशन्स चेक करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि दिया गया इक्विपमेंट बैंक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से सही है।

3.9.4 टेंडर देने वाला XBIS सिस्टम के इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ज़रूरी सभी टूल्स, प्लांट्स, स्कैफोल्डिंग, लेबर और कंज्यूमेबल्स वगैरह सप्लाई करेगा।

3.10 टेंडर देने वाले को अपने टेंडर में साफ़-साफ़ बताना होगा कि वे कौन से स्टैंडर्ड टूल्स, स्पेयर पार्ट्स देंगे जो वह इक्विपमेंट लगाते समय मुफ़्त में देगा और काम पूरा होने के बाद उन्हें बैंक को सौंप देगा।

3.11 निविदा की वैधता

टेंडर, कीमतों के साथ, टेंडर के पार्ट । के खुलने की तारीख से शुरू में 90 दिनों के लिए वैलिड रहेगा, इस समय को टेंडर देने वाले आपसी लिखित सहमति से और बढ़ा सकते हैं और टेंडर देने वाला इस समय के दौरान टेंडर को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।

3.12 सबसे कम टेंडर ज़रूरी नहीं कि स्वीकार किया जाए

3.12.1 बैंक सबसे कम या किसी भी टेंडर को स्वीकार करने या न स्वीकार करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

3.12.2 जिस टेंडरर का टेंडर स्वीकार नहीं किया जाता है, वह टेंडर जमा करने के दौरान या उससे जुड़े किसी भी खर्च, चार्ज, नुकसान और आकस्मिक खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक टेंडर को बदलने/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

3.13 बयाना राशि, सुरक्षा जमा

3.13.1 टेंडर देने वाले को अर्नेस्ट मनी के तौर पर NEFT से ₹30,000/- देने होंगे। इसके अलावा, टेंडर देने वाला दिए गए प्रोफ़ॉर्मा के हिसाब से EMD के लिए किसी शेड्यूल्ड बैंक से जारी एक इर्रिवोकेबल बैंक गारंटी भी दे सकता है। बैंक गारंटी एनेक्सर-V में दिए गए फ़ॉर्मेट में होगी और टेंडर खुला रखने के लिए तय समय तक बिना पेमेंट के रहेगी। अगर टेंडर देने वाला, टेंडर जमा करने के बाद, अपने ऑफ़र से हटता है या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव करता है, तो बैंक गारंटी/EMD की रकम ज़ब्त की जा सकती है।

3.13.2 अगर टेंडर के साथ बैंक गारंटी या NEFT डिटेल्स नहीं हैं, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी हालत में बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट या इंश्योरेंस गारंटी या चेक के रूप में EMD स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.13.3 ऊपर दी गई बैंक गारंटी टेंडर स्वीकार होने पर, और साथ में दिए गए फ़ॉर्मेट (Annexure-VI) में **सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर नई बैंक गारंटी दिखाने पर** या टेंडर स्वीकार न होने पर, लेकिन उस समय की एक्सपायरी डेट से पहले खत्म हो जाएगी जिसके लिए टेंडर वैलिड रखा गया है।

3.13.4 अगर बैंक टेंडर का इनविटेशन वापस ले लेता है या कैंसल कर देता है, तो बैंक गारंटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैंक को ऐसा करने का अधिकार किसी भी समय होगा।

3.13.5 अगर सफल टेंडरर सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं दे पाता है, तो EMD के लिए बैंक गारंटी लागू हो जाएगी, जिससे बैंक को होने वाले किसी भी और नुकसान या क्षति के लिए ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अगर ज़रूरी हो, तो सफल टेंडरर EMD के लिए बैंक गारंटी को सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिए बैंक गारंटी देने के लिए बैंक द्वारा तय की गई तारीख तक बढ़ा सकता है।

3.13.6 इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर को दिए जाने वाले सभी मुआवज़े या दूसरी रकम, सिक्योरिटी डिपॉज़िट से काटी जा सकती है, अगर रकम इसकी इजाज़त देती है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्टर बैंक द्वारा डिमांड नोटिस जारी होने के दस दिनों के अंदर ऐसी रकम कैश में जमा न कर दे।

3.14 भारत में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता

(ए) सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 के माध्यम से सम्मिलित जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन और इसके बाद के संशोधन इस कार्य के लिए निविदा आवश्यकता का एक हिस्सा होंगे।
अटैचमेंट-III में दिए गए फॉर्मेट में ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी द्वारा सील और साइन किया गया हो।
अगर बिडर का दिया गया यह अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, तो उसका टेंडर / वर्क ऑर्डर तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, और कानून के मुताबिक कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी / सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना शामिल है, और बैंक बिडर को भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए टेंडर में हिस्सा लेने से भी रोक सकता है।

(बी) भाग लेने वाले बोलीदाताओं को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) पीपीपी-एमआईआई आदेश 2017 संशोधित - भारत सरकार के तहत खरीद वरीयता के लिए विचार किया जाएगा, उनके स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने और अन्य सभी दस्तावेजों की पूर्ति के अधीन, भारत सरकार के उपरोक्त "पीपीपी-एमआईआई आदेश-2017 संशोधित" की शर्तें।

3.15 वारंटी/डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट:

सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर बैंक को इक्विपमेंट सौंपने की तारीख से कम से कम एक साल के लिए सभी तरह के डिफेक्ट की गारंटी होगी। गारंटी पीरियड के अंदर सिस्टम/सब-असेंबली में कोई भी डिफेक्ट पाए जाने पर टेंडर देने वाले को उसे फ्री में ठीक करना/बदलना होगा। इस पीरियड के दौरान, कम से कम **चार**

बार सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरर द्वारा तय और आपसी सहमति से तय की गई किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल पर ध्यान देना फ्री होगा। टेंडर देने वाले को यह भी बताना होगा कि वे इंस्टॉलेशन की जगह पर कौन सी सर्विस सुविधा दे सकते हैं और अपने सर्विस सेंटर का टेलीफोन नंबर और पता भी बताना होगा। टेंडर देने वाले गारंटी पीरियड खत्म होने के बाद एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने चार्ज भी अलग से बताएंगे। अच्छी सर्विस देने पर पेमेंट छमाही आधार पर किया जाएगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रेट में सबसे पास के सर्विस स्टेशन से आने-जाने का खर्च भी शामिल होगा। यह एक इमरजेंसी सिस्टम है, सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक किया जाएगा, ऐसा न करने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

	हर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स टाइम और पेनल्टी	**सुधार समय**	**जुर्माना**
ए	कोई भी खराबी जिससे सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाए	24 घंटे	1000 रुपये प्रतिदिन
बी	अलग-अलग डिवाइस, कंपोनेंट में कोई खराबी	24 घंटे	500 रुपये प्रतिदिन

कि तिरुवनंतपुरम में प्रस्तावित सिस्टम की सर्विसिंग किस सर्विस सेंटर से की जाएगी, उस सेंटर पर कितने स्टाफ हैं और उस सेंटर पर सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स कितने हैं । सप्लाई किए गए इक्विपमेंट पर **काम पूरा होने की तारीख** से एक साल तक सभी तरह के डिफेक्ट्स के खिलाफ गारंटी होगी। गारंटी पीरियड के अंदर सिस्टम/सब-असेंबली में कोई भी डिफेक्ट मिलने पर, टेंडर देने वाले को बैंक को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ठीक करना/बदलना होगा। रेट में हर तीन महीने में या उससे पहले सर्विसिंग शामिल होनी चाहिए, जैसा कि मैन्युफैक्चरर तय करेगा और इस दौरान आपसी सहमति से तय होगा।

टेंडर देने वालों को एक साल की गारंटी पीरियड खत्म होने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के लिए अपने चार्ज भी अलग से बताने होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान, मैन्युफैक्चरर द्वारा तय और आपसी सहमति से तय किए गए क्वार्टरली इंटरवल पर या उससे पहले सर्विसिंग की जाएगी, इसके अलावा **किसी भी नंबर पर ब्रेकडाउन कॉल भी किए** जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विस चार्ज का पेमेंट हाफ ईयरली बेसिस पर संतोषजनक सर्विस देने और सर्विस रिपोर्ट जमा करने पर किया जाएगा।

पूरी सालाना मेंटेनेंस सर्विस के चार्ज में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान एक्स-रे बैगेज के किसी भी हिस्से को बदलने का चार्ज भी शामिल होगा। एक्स-रे बैगेज सिस्टम की सर्विसिंग की जाएगी।
एक साल की वारंटी के बाद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम **सात साल के लिए और रिन्यू किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते समय नए कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा।**

$$A_C = A_P \{10+65 \times (EPI_C/EPI_P) + 25 \times (CPI_C/CPI_P)\} \times 1/100$$

Ac	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि
Ap	पिछले वर्ष की अनुबंध राशि

EPIc	इस साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले इलेक्ट्रिकल उपकरण, अप्लायंसेज और पार्ट्स के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स
EPIp	पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले इलेक्ट्रिकल उपकरण, अप्लायंसेज और पार्ट्स के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स
CPIc	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) चालू साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले
CPIp	इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ऑल इंडिया एवरेज) पिछले साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले

3.16. टेंडर का मूल्यांकन:

टेंडर्स का मूल्यांकन सिस्टम की कैपिटल कॉस्ट के आधार पर किया जाएगा और डिफेक्ट लायबिलिटी / गारंटी पीरियड के एक साल के खत्म होने के बाद **सात साल** के समय के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताए गए रेट्स के असर को ध्यान में रखा जाएगा ।

टेंडर किए गए ऑफ़र का मूल्यांकन टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक साल की शुरुआती वारंटी अवधि के बाद सात साल की अवधि के लिए सालाना कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज की कैपिटल कॉस्ट और नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) को ध्यान में रखा जाएगा। बताए गए NPV में ये शामिल होंगे:

□	3D व्यू X-Ray बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम की कीमत	कहो (ए)
□	मौजूदा ECIL मेक XBIS की छूट	(बी) कहें
□	1 साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद 07 साल के समय के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज का NPV, AMC के पहले साल के बाद हर साल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में 5% की बढ़ोतरी, हाफ ईयरली पेमेंट और 8% के डिस्काउंट रेट के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह,	कहो (सी)

	(1 साल की गारंटी पीरियड) के बाद 07 साल के लिए AMC का NPV निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) (F =5.6321) *होगा /* टिप्पणी: (i) एन.पी.वी. की गणना के लिए ए.एम.सी. राशि टेंडर के भाग-II में दर्शाई गई राशि के अनुसार ली जाएगी **अथवा** केवल एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम की पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।	
	(ii) तथापि, एएमसी के लिए भुगतान, एएमसी शीर्षक के अंतर्गत निविदा के भाग II में उल्लिखित दरों एवं राशि के अनुसार ही किया जाएगा।	
(सी)	08 वर्षों के उपयोगी सेवा जीवन के लिए एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के स्वामित्व का एनपीवी इस प्रकार गणना की जाएगी [{(ए)-(बी)} + {एएमसी दर(सी) x एमएफ}]	कह ना (डी)
(डी)	काम ऊपर दिए गए (D) की सबसे कम वैल्यू के लिए दिया जाएगा।	

स्वामित्व की कुल लागत = पूंजीगत लागत – बायबैक/रिबेट राशि + 5.6321 *AMC दर

3.17 एक्स-रे बैगेज सिस्टम का परीक्षण :

इक्विपमेंट को साइट पर भेजने से पहले, अगर बैंक की मर्ज़ी हो, तो बैंक का इंजीनियर मैन्युफैक्चरर की साइट पर इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन कर सकता है और फिर शिपमेंट के लिए क्लियर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर, इंस्पेक्टर को वे सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा जो उसे यह पक्का करने के लिए ज़रूरी हों कि इक्विपमेंट/काम इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स में दिए गए खास स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से बनाया/किया जा रहा है और/या किया जा चुका है। अगर ऊपर बताए गए मकसद के लिए काम किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के दौरान बैंक के इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्टर के काम या साइट पर किसी भी समय पूरी और फ्री एक्सेस होगी, और वह कॉन्ट्रैक्टर से अपनी जगह पर या बैंक के इंजीनियर द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह पर इंस्पेक्शन या काम या उसके किसी हिस्से या किसी मटीरियल का इंतज़ाम करने के लिए कह सकता है और अगर कॉन्ट्रैक्टर को किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेने की इजाज़त दी गई है, तो बैंक के इंजीनियर के पास भी ऐसा ही अधिकार होगा।
लेकिन, इससे कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह से तय जगह पर इरेक्शन और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/कंपोनेंट्स के सही परफॉर्मेंस की ज़िम्मेदारी से बच नहीं जाएगा।

3.17.1 इंस्पेक्शन का खर्च: - कॉन्ट्रैक्टर, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, सभी सामान, टूल, लेबर और हर तरह की मदद देगा, जिसकी मांग बैंक का इंजीनियर किसी भी टेस्ट/इंस्पेक्शन और जांच के लिए करेगा, जिसे कॉन्ट्रैक्टर की जगह पर करवाना चाहेगा और उससे जुड़े सभी खर्च खुद उठाएगा। हालांकि, इंस्पेक्शन की जगह तक बैंक के इंजीनियर के आने-जाने, रहने और खाने का खर्च बैंक उठाएगा।

3.17.2 टेस्टिंग का तरीका **: -** बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह सभी इक्विपमेंट और मटीरियल को, जो उसका हिस्सा हैं या उसका कोई हिस्सा हैं, ऐसे टेस्ट से गुज़ार सके, जैसा वह ठीक और उचित समझे। कॉन्ट्रैक्टर को इंस्पेक्टर के टेस्टिंग के तरीके पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

3.17.3 परफॉर्मेंस सर्टिफ़ाई करने के लिए इंस्पेक्टर अथॉरिटी: - बैंक के इंजीनियर के पास ये पावर होगी:

किसी भी इक्विपमेंट या उसके किसी हिस्से को इंस्पेक्शन के लिए भेजने से पहले यह सर्टिफ़ाई किया जाता है कि वे या उनका कोई हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि बनाने का कोई खराब तरीका अपनाया गया है।
किसी भी इक्विपमेंट या पार्ट्स को, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, रिजेक्ट करना।
इंस्पेक्शन के लिए दिए गए पूरे इक्विपमेंट को रिजेक्ट कर देना, अगर उसके किसी हिस्से के इंस्पेक्शन के बाद, जैसा वह अपनी समझ से ठीक समझे, उसे लगता है कि वह ठीक नहीं है; और
रिजेक्ट किए गए इक्विपमेंट या पार्ट्स पर रिजेक्शन मार्क लगाना ताकि दोबारा सबमिट करने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

3.17.4 रिजेक्शन का नतीजा: अगर इक्विपमेंट या इक्विपमेंट या उसके किसी हिस्से को बैंक के इंजीनियर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर तय डिलीवरी/काम पूरा होने के समय के अंदर ठीक से सप्लाई नहीं कर पाता है या किए गए खराब काम को ठीक नहीं कर पाता है, तो बैंक को यह करने की आज़ादी होगी:

कॉन्ट्रैक्टर को रिजेक्ट किए गए इक्विपमेंट या पार्ट्स के बदले में, तय समय के अंदर दोबारा जमा करने की इजाज़त दें, और ऐसे रिप्लेसमेंट पर अगर कोई फ्रेट का खर्चा है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे उठाएगा, और उस वजह से उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा; या
रिजेक्ट किए गए इक्विपमेंट या पार्ट्स या इसी तरह के दूसरे इक्विपमेंट (जब इक्विपमेंट या पार्ट्स, बैंक की राय में स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से ठीक न हों, जो फाइनल होगा, आसानी से मिल जाएगा) की क्वांटिटी/काम कॉन्ट्रैक्टर को उसके रिस्क और कॉस्ट पर खरीदना/करना या खरीदने/करने की मंज़ूरी देना और कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई के मामले में कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी पर कोई असर डाले बिना; या
कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें और इक्विपमेंट या इसी तरह के दूसरे इक्विपमेंट (जब इक्विपमेंट या पार्ट्स बैंक की राय में स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से ठीक न हों, जो फाइनल होगा, आसानी से मिल जाएगा) कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क और कॉस्ट पर खरीदें/एक्ज़ीक्यूट करें या खरीदने/एक्ज़ीक्यूट करने की मंज़ूरी दें। ऊपर दिए गए क्लॉज़ (b) या इस क्लॉज़ के तहत एक्शन लेने पर, डिलीवरी क्लॉज़ का प्रोविज़न जहाँ तक लागू हो, लागू होगा।

3.17.5 रिजेक्शन के बारे में बैंक के इंजीनियर का फ़ैसला फ़ाइनल होगा: - रिजेक्शन के बारे में बैंक के इंजीनियर का फ़ैसला फ़ाइनल होगा और कॉन्ट्रैक्टर की अपील के अधीन कॉन्ट्रैक्टर पर लागू होगा।

3.18 भुगतान की शर्तें

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाले कामों के लिए पेमेंट इस तरह किया जाएगा और पेमेंट के तरीके में कोई भी बदलाव रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को मंज़ूर नहीं होगा।

• इक्विपमेंट की सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और बैंक को सौंपने और नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स जमा करने पर दिए गए रेट का 85% प्रो-राटा:

i) निर्माता के निरीक्षण और परीक्षण प्रमाणपत्र
ii) स्टोरेज, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, टेस्टिंग और हैंडओवर के दौरान सभी रिस्क को कवर करने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल है।

बताए गए रेट का 10%, इक्विपमेंट सौंपने की तारीख से चार साल तक वैलिड, बराबर रकम का BG जमा करने पर दिया जाएगा (क्लॉज 3.18.1 के अनुसार)।

कोट किए गए रेट का 5% रिटेंशन मनी के तौर पर रोक लिया जाएगा और एक साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा होने पर रिलीज़ कर दिया जाएगा।

3.18.1 इक्विपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी पीरियड और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए ली गई कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट की 10% की बैंक गारंटी को चार साल (1 साल की वारंटी/DLP और तीन साल AMC) के आखिर तक रिन्यू किया जाएगा। इसके बाद, बैंक गारंटी की रकम कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के FIVE परसेंट (5%) तक कम हो जाएगी और नई बैंक गारंटी को अगले चार साल के लिए रिन्यू किया जाएगा, यानी X-ray बैगेज की अनुमानित लाइफ के आखिर तक।

3.19 बीमा

कॉन्ट्रैक्टर को सिस्टम बैंक को सौंपने तक, बैंक और कॉन्ट्रैक्टर (बैंक का पहला नाम) के जॉइंट नाम से, सभी तरह के रिस्क को कवर करने के लिए अपने खर्च पर सभी इंश्योरेंस लेने होंगे और इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे।
स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी।
साइट पर कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों के लिए वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।
थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी कुल Rs.10 लाख की है और हर एक्सीडेंट पर Rs. 2 लाख की लिमिट है।

<u>टिप्पणी:</u> ये पॉलिसी काम पूरा होने तक और अगर कोई बढ़ा हुआ समय हो, तो उसके लिए भी वैलिड रहेंगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी खुद लेने और कॉन्ट्रैक्टर के बिल से उसका खर्च वसूलने का अधिकार है।

3.20 पूर्णता अवधि

3.20.1 मेमोरेंडम में बताए गए काम को पूरा करने के लिए दिए गए समय का कॉन्ट्रैक्टर को सख्ती से पालन करना होगा और यह काम शुरू करने का लिखित ऑर्डर जारी होने के 10 $^{वें}$ दिन से माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की तय अवधि के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर कॉन्ट्रैक्टर तय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के "इसमें पहले बताए गए अपेंडिक्स" में बताए गए हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेज देना होगा।

3.20.2 कॉन्ट्रैक्टर को लेटर ऑफ़ इंटेंट के दसवें दिन से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम पूरा करने के समय के अंदर काम पूरा करने के लिए एक बार चार्ट जमा करना होगा। इस चार्ट में साइट पर सामान की सप्लाई की तारीख, काम का आइटम के हिसाब से पूरा होना वगैरह जैसी सभी एक्टिविटीज़ शामिल होंगी, और बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी।
3.20.3 बैंक बिल्डिंग के कंपाउंड में लॉक करने लायक स्टोरेज स्पेस देगा। लेकिन, स्टोर किए गए सामान की ज़िम्मेदारी और सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर की होगी। बैंक किसी भी वर्कर के लिए रहने की जगह नहीं देगा।

3.21 पैकिंग और प्रेषण

इक्विपमेंट को बॉक्स में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए और भारतीय हालात के हिसाब से समुद्र/हवाई/रेल/सड़क से कई बार हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन किया जाना चाहिए। सभी इक्विपमेंट/कंपोनेंट बैंक की ऑफिस बिल्डिंग, तिरुवनंतपुरम में डिलीवर किए जाएंगे।

3.22 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

3.22.1 टेंडर देने वालों के लिए आम निर्देश और खास शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और ड्रॉइंग्स, बैंक और टेंडर देने वाले के बीच बाद में हुई बातचीत और दिया गया वर्क ऑर्डर, सफल टेंडर देने वाले के साथ किए जाने वाले फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का आधार होंगे।

3.22.2 टेंडर देने वाले को कॉन्ट्रैक्ट की आम शर्तों में दिए गए नियम और शर्तें पूरी तरह से पढ़नी होंगी और उनका ऑफर पूरी तरह से उनमें बताई गई शर्तों के हिसाब से होगा। बताई गई शर्तों से कोई भी बदलाव मंज़ूर नहीं होगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के हर पेज पर साइन करना होगा ताकि वे कॉन्ट्रैक्ट की आम शर्तों, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स वगैरह से खुद को परिचित कर सकें।

3.22.3 किसी फर्म की तरफ से जमा किए गए टेंडर पर फर्म के सभी पार्टनर या ऐसे पार्टनर के साइन होने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए फर्म की तरफ से ज़रूरी अधिकार हो। नहीं तो टेंडर रिजेक्ट किया जा सकता है।
3.22.4 बैंक से अपने टेंडर के मंज़ूर होने की जानकारी मिलने पर, सफल टेंडर देने वाला कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए मजबूर होगा और इसके चौदह दिनों के अंदर, सफल टेंडर देने वाला ड्राफ्ट एग्रीमेंट के अनुसार एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा। एग्रीमेंट पर साइन करने के बावजूद, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा टेंडर की लिखित मंज़ूरी अपने आप में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और टेंडर देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, चाहे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाद में पूरा हो या न हो।

3.22.5 कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं देगा। वह एम्प्लॉयर की लिखित सहमति के बिना कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी हिस्सा सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों को तोड़ने पर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी डिपॉज़िट एम्प्लॉयर का ज़ब्त हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ उसके दूसरे उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

3.23 भाषा

टेंडर में ड्रॉइंग, डॉक्यूमेंट, कैटलॉग वगैरह के सभी लेबल इंग्लिश में होंगे।

3.24 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

बैंक टेंडर देने वाले के बताए गए दामों पर टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है।

3.25 चित्र

इक्विपमेंट के लिए सभी ज़रूरी ड्राइंग टेंडर देने वाले को तैयार करनी होंगी और काम शुरू होने से पहले अप्रूवल के लिए बैंक के इंजीनियर को जमा करनी होंगी।

3.26 अन्य मुद्दे

3.26.1 कॉन्ट्रैक्टर सारा काम बैंक के इंजीनियर की मंज़ूर ड्राइंग, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स और निर्देशों के हिसाब से ही करेगा। अगर बैंक के इंजीनियर/कंसल्टेंट की राय में, साइट की हालत के हिसाब से थोड़े बदलाव करने हैं और एम्प्लॉयर से पहले से लिखकर मंज़ूरी लेनी है, तो कॉन्ट्रैक्टर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यह काम करेगा।

3.26.2 टेंडर देने वाले को अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्च पर, टेंडर करने और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी सारी जानकारी लेनी होगी और ड्रॉइंग की जांच करनी होगी, काम की जगह का इंस्पेक्शन करना होगा, और सभी लोकल हालात, काम तक पहुंचने के तरीके, काम का नेचर और उससे जुड़ी सभी बातों की जानकारी लेनी होगी। ऐसे मामलों में एम्प्लॉयर का फैसला आखिरी होगा और उस पर आर्बिट्रेशन नहीं होगा।

3.26.3 इन खास शर्तों के साथ हर काम और स्पेसिफिकेशन्स के लिए संभावित मात्रा का एक शेड्यूल दिया गया है। संभावित मात्रा के शेड्यूल में एम्प्लॉयर अपनी मर्ज़ी से कुछ कमी, कटौती या बढ़ोतरी कर सकता है। हर टेंडर में न सिर्फ़ रेट होने चाहिए, बल्कि काम के हर आइटम की कीमत भी एक अलग कॉलम में लिखी होनी चाहिए और पूरे टेंडर की कुल कीमत दिखाने के लिए सभी आइटम का टोटल किया जाना चाहिए।

3.26.4 टेंडर में दिए गए रेट में स्कैफोल्डिंग, रात में निगरानी और लाइटिंग के साथ-साथ रविवार और छुट्टियों वाले दिन, बाकी सभी बनी हुई चीज़ों, सामान या चीज़ों की सुरक्षा के सभी चार्ज शामिल होंगे। कॉन्ट्रैक्टर ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का ऑर्डर दिया जाएगा, तो ऐसी सभी सेंटरिंग , स्कैफोल्डिंग वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान खराब हुई सभी चीज़ों और कामों को पूरी तरह से ठीक कर देगा और बैंक की संतुष्टि के अनुसार ठीक कर देगा।

3.26.5 कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-कॉन्ट्रैक्ट में हुई देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में या ऐसे कामों को शुरू करने या पूरा करने में हुई देरी शामिल है। एम्प्लॉयर टेंडर की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

3.26.6 सफल टेंडर देने वाला काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी काम करने के लिए मजबूर है, भले ही वे आइटम क्वांटिटी और रेट में शामिल न हों। ऐसे एक्स्ट्रा आइटम और उनकी क्वांटिटी के बारे में इंस्ट्रक्शन का शेड्यूल बैंक लिखकर जारी करेगा।

3.26.7 सफल टेंडर देने वाले को बैंक द्वारा नियुक्त दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ सहयोग करना होगा ताकि काम कम से कम देरी के साथ आसानी से आगे बढ़े।

3.26.8 सफल टेंडर देने वाला अपने स्टाफ़ को बैंक की जगह में आने के लिए PPE (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) देगा और यह पक्का करेगा कि वे बैंक की जगह के अंदर पर्सनल सुरक्षा, PPE के इस्तेमाल से जुड़े बैंक के सभी निर्देशों का पालन करें।

3.27 निविदाकर्ता तिरुवनंतपुरम में सर्विस की सुविधा होनी चाहिए।

3.28 कॉन्ट्रैक्ट या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने या तोड़ने के तय होने से पहले या बाद में) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। बैंक अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला फाइनल सर्टिफिकेट या किसी और रूप में हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में बैंक का फैसला आखिरी होगा और इसमें कोई अपील नहीं होगी, जैसा कि यहां बताया गया है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसे मामले से नाखुश है जिस पर बैंक ने ऊपर बताया है, सिवाय किसी उम्मीद वाले मामले के, तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे फैसले की सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें विवाद वाले मामलों पर आर्बिट्रेशन करने की मांग की गई हो। ऐसे लिखित नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद है या जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां सहमत हैं, तो इस मकसद के लिए एक ही आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। अगर सिंगल आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।
आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी सर्टिफिकेट, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।
आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस दर्ज करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बढ़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा सेटलमेंट या समझौते का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या समझौते के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।
ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवॉर्ड से जुड़े खर्च पर फैसला आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से उठाएगा और चुकाएगा।
यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।
आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, नहीं आ जाता, बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, कॉन्ट्रैक्टर को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

3.29 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम का खंड:

ए)। अगर बैंक के अंदर किसी कर्मचारी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई शिकायत होती है, तो पूरी तरह से फर्म ज़िम्मेदार होगी। शिकायत रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की बनाई रीजनल कमेटी के सामने फाइल की जाएगी और बैंक शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगा।
b). फर्म के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक / DICGC के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट कमेटी ध्यान देगी।
c). अगर घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हैं, तो फर्म को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारियों को कोई भी पैसे की राहत।
d) फर्म अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगी।
e.) फर्म को बैंक की जगह पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

3.30 गैर-प्रकटीकरण खंड:

कॉन्ट्रैक्टर सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान कॉन्ट्रैक्टर के पास या जानकारी में आए या उसके पास आए, और उसे हर समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या शेयर नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को कॉन्ट्रैक्टर की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत कॉन्फिडेंशियल जानकारी को न बताने की जिम्मेदारियां पूरी तरह से पूरी हों। किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, नॉन-डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

3.31 सुरक्षा कोड

3.31.1 फर्स्ट-एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, को आसानी से मिलने वाली जगह पर रखा जाएगा।

3.31.2 अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।

3.31.3 जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।

3.31.4 कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मज़दूर लगाया जाएगा।

3.31.5 खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई की जगह की कम से कम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए।

3.31.6 किसी बिल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही तरीके से फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।

3.31.7 किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

3.31.8 डामर, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले काम करने वाले मज़दूरों को सुरक्षा वाले जूते और रबर के दस्ताने दिए जाएंगे।

3.31.9 वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और दस्ताने दिए जाएंगे।

3.31.10 लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाले किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।

3.31.11 जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाने चाहिए।

3.31.12 काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।

3.31.13 सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

3.32 आग सुरक्षा

3.32.1 कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।

3.32.2 सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

3.32.3 इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।

3.32.4 सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह को काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए।

3.32.5 किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को बताया जाएगा और फायर ऑफिसर/पर्सनल द्वारा साइट इंस्पेक्शन के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।

3.32.6 साइट पर आसानी से पहुंचने वाली जगह पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।

3.32.7 फायर ऑफिसर द्वारा बताए गए और जारी किए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।

3.32.8 इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।

काम की ज़रूरत के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ के खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।

3.32.10 सेफ्टी बेल्ट कॉन्ट्रैक्टर देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10' से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।

3.32.11 लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.32.12 सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।

3.32.13 किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

3.32.14 जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

3.32.15 काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन और बुरादा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

3.32.16 काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।

3.32.17 ऑफिस टाइम के बाद काम करते समय कॉन्ट्रैक्टर को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देनी होगी।

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने टेंडर देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ और समझ लिए हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता

खंड IV
आगे बताई गई शर्तें

4.1 व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते का अर्थ लगाने में, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

(ए)	"नियोक्ता"	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइन किए गए और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (के मामले में एक साझेदारी)	"ठेकेदार" का अर्थ होगा__और _____ नाम और शैली में व्यापार_____और जिसका व्यवसाय स्थान है _____ और इसमें उक्त फर्म के तत्कालीन साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" का अभिप्राय श्रीमान से है ____के नाम और शैली में व्यापार करने वाले _____ और इसमें उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ _____ एक कंपनी होगा के अंतर्गत निगमित_____और इसका पंजीकृत कार्यालय यहां है_और इसमें इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
(सी)	"साइट"	इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर के इस्तेमाल के लिए दी है।
(डी)	"यह अनुबंध "	इसका मतलब होगा एग्रीमेंट के आर्टिकल, स्पेशल कंडीशंस, शर्तें, अपेंडिक्स, क्वांटिटीज़ का शेड्यूल और स्पेसिफिकेशन्स वगैरह जो इसके साथ जुड़े हैं और सही तरह से साइन किए हुए हैं।
ई)	"बैंकों अभियंता"	"बैंक इंजीनियर" का मतलब है वह व्यक्ति जिसे एम्प्लॉयर कामों का इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंट करता है और पेमेंट करता है। कॉन्ट्रैक्टर, बैंक इंजीनियर को कामों और मटीरियल का इंस्पेक्शन करने, और समय और मटीरियल की जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा। न तो बैंक इंजीनियर और न ही बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास काम शुरू करने या कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी ज़रूरत को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या कम करने, या किसी भी दिन के काम, जोड़ने, बदलाव, डेविएशन, या कमी, या किसी भी एक्स्ट्रा काम को मंज़ूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार एम्प्लॉयर की पहले से लिखित मंज़ूरी के साथ बैंक इंजीनियर के लिखित ऑर्डर से खास तौर पर दिया गया हो।

		बैंक इंजीनियर या बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास कॉन्ट्रैक्टर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी काम या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने का नोटिस देने का अधिकार होगा और ऐसा काम रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। समय-समय पर बैंक के इंजीनियर/बैंक के प्रतिनिधि काम की जांच करेंगे, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाई गई किसी भी खराबी को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी। इस क्लॉज़ की लिमिट के तहत कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ़ बैंक के इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।
(एफ)	"सूचना लिखना"	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से उस आखिरी पता प्राइवेट या बिज़नेस पते पर भेजा गया हो, जब पोस्ट के आम तरीके से उसे डिलीवर किया जाता।
(जी)	"कार्य दिवालियापन" का	इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्सॉल्वेंसी एक्ट या प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे किसी भी एक्ट में बदलाव करने वाले किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट से होगा।
(एच)	"शुद्ध मूल्य"	अगर कॉन्ट्रैक्ट की रकम तय करते समय, कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर में मौजूद चीज़ों के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह प्रतिशत के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो टेंडर में किसी भी चीज़ की नेट कीमत, टेंडर में उस चीज़ की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़े में जोड़ने या घटाने से मिली रकम होगी। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस तरह जोड़ी या घटाई गई रकम का उतना ही प्रतिशत या हिस्सा, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को टेंडर की कुल रकम से घटाया जाएगा। "नेट रेट्स" या "नेट प्राइस" शब्द का इस्तेमाल जब संदर्भ के साथ किया जाता है।
(मैं)	"काम"	इसका मतलब RBI, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मेन ऑफिस बिल्डिंग के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम का डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग होगा।

शब्द इंपोर्ट करने वाले लोगों में फर्म और कॉर्पोरेशन शामिल हैं। शब्द इंपोर्ट करने वाले सिर्फ़ एकवचन में बहुवचन भी शामिल है और जहाँ संदर्भ की ज़रूरत हो, इसका उल्टा भी होता है।

4.2 अनुबंध का दायरा

कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार और एम्प्लॉयर के निर्देशों और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताया गया काम करेगा और पूरा करेगा। एम्प्लॉयर अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से इन चीज़ों के संबंध में "एम्प्लॉयर के निर्देश" कहा जाएगा:

(a) काम की डिज़ाइन, क्वालिटी या क्वांटिटी में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।

(b) ड्रॉइंग्स में या क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।
(c) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।
(d) कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।
(e) वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम से निकालना।
(f) किसी भी छिपे हुए काम के इंस्पेक्शन के लिए खोलना।
(g) इसके क्लॉज़ 19 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को मानेगा और उसे ठीक से पूरा करेगा, बशर्ते कि एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर या उसके प्रतिनिधियों को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, डायरेक्शन और एक्सप्लेनेशन, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, और अगर एम्प्लॉयर अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में एम्प्लॉयर के निर्देश माना जाएगा।

4.3 बदलाव एम्प्लॉयर से मंज़ूर किए जाने हैं

कॉन्ट्रैक्टर एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिएशन जमा करेगा जिसमें मात्रा और रेट्स होंगे, जो रेट्स, वाउचर्स वगैरह के एनालिसिस से सपोर्टेड होंगे। एम्प्लॉयर द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री टेंडर बनेंगे। एम्प्लॉयर इन वेरिएशन्स के पेमेंट के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह इन स्टेटमेंट्स को मंज़ूरी नहीं दे देता।

4.4 ड्रॉइंग, मात्राओं की अनुसूची और समझौता

कॉन्ट्रैक्ट तीन कॉपी में पूरा किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को अपने इस्तेमाल के लिए एक कॉपी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, वह एम्प्लॉयर को, बैंक को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस कर देगा।

4.5 कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी

कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर, Drawings, Schedule of Quantities और Specification के इरादे और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर कॉन्ट्रैक्टर को Drawings में या Drawings, Schedule of Quantities और Specification के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर एम्प्लॉयर को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए।

4.6 प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

4.6.1 कॉन्ट्रैक्टर को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के प्रोविज़न, और किसी भी अथॉरिटी, और इलेक्ट्रिक सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या अथॉरिटीज़ के रेगुलेशन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से इंस्टॉलेशन को कनेक्ट करने का प्रपोज़ल है। और, ड्रॉइंग या स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने के लिए ज़रूरी हो,

एम्प्लॉयर को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने का कारण बताया जाएगा और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को दस दिनों के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रोविज़न, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के अनुसार काम करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव को क्लॉज़ नंबर 13 के तहत निपटाया जाएगा।

4.6.2 कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर को उन सभी नोटिस के बारे में बताएगा जो इन एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने ज़रूरी हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को, काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस का पेमेंट करेगा, और रसीदें एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा।

4.6.3 कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर को अधिकारों से जुड़े सभी दावों से हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा, और खुद ही सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज का पेमेंट करेगा जो कानूनी तौर पर इसके संबंध में लग सकते हैं।

4.7 कार्यों की शुरुआत

कॉन्ट्रैक्टर काम की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सही स्थिति का ध्यान रखेगा। अगर काम पूरा होने के एक साल के अंदर काम की प्रोग्रेस के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो कॉन्ट्रैक्टर, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, एम्प्लॉयर की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

4.8 विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी

सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, क्वांटिटी और/या स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और एम्प्लॉयर के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल उसके हिसाब से है। कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर एम्प्लॉयर की ज़रूरत के हिसाब से किसी भी मटीरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।

4.9 काम पर कॉन्ट्रैक्टर का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव

कॉन्ट्रैक्टर काम के दौरान और उसके बाद जब तक एम्प्लॉयर ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड" खत्म न हो जाए। कॉन्ट्रैक्टर पूरे समय, जब काम चल रहा हो, एक काबिल रिप्रेजेंटेटिव को भी काम पर रखेगा जो काम पर लोगों के रहने के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। एम्प्लॉयर द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए माने जाएंगे।

4.10 कामगारों की बर्खास्तगी

एम्प्लॉयर के कहने पर, कॉन्ट्रैक्टर, अपने यहां काम करने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो एम्प्लॉयर की राय में नाकाबिल हो या गलत काम कर रहा हो, और ऐसे लोगों को एम्प्लॉयर की इजाज़त के बिना, काम पर दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।

4.11 सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)

"असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक)" का मतलब है वह व्यक्ति जिसे एम्प्लॉयर काम का इंस्पेक्शन करने के लिए अपॉइंट करता है और पेमेंट करता है। कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट मैनेजर को काम और मटीरियल का इंस्पेक्शन करने और समय और मटीरियल को चेक करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा। असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) के पास काम शुरू करने या कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी ज़रूरत को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या ढील देने या कोई भी काम, जोड़ने, बदलाव, डेविएशन या कमी या कोई भी एक्स्ट्रा काम मंज़ूर करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार एम्प्लॉयर की पहले से लिखित मंज़ूरी से लिखित ऑर्डर द्वारा खास तौर पर दिया गया हो।

असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) या एम्प्लॉयर के पास कॉन्ट्रैक्टर या उसके प्रतिनिधि को किसी भी काम या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा काम असिस्टेंट मैनेजर/मैनेजर (टेक) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।

4.12 असाइनमेंट और सब-लेटिंग

4.12.1 कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी काम कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा और कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना कॉन्ट्रैक्ट या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली ट्रांसफर, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या काम के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।

4.12.2 कोई भी बदलाव, चूक या बदलाव इस कॉन्ट्रैक्ट को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर को काम के दौरान किसी भी समय काम में कोई बदलाव या कुछ जोड़ना या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के प्रकार या क्वालिटी में कोई बदलाव करना सही लगता है और वह कॉन्ट्रैक्टर को अपने हाथ से लिखकर इसकी सूचना देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी हो, बदलाव करेगा, कुछ जोड़ेगा या कुछ नहीं हटाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर की पहले से लिखित सहमति के बिना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, कोई बदलाव या कुछ जोड़ना या कुछ नहीं हटाएगा या कॉन्ट्रैक्ट, शर्त, स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉइंग के किसी भी नियम से कोई बदलाव नहीं करेगा और ऐसे एक्स्ट्रा, बदलाव, कुछ जोड़ने या कुछ न हटाने की कीमत सभी मामलों में एम्प्लॉयर द्वारा तय की जाएगी, एम्प्लॉयर की पहले से लिखित मंज़ूरी के साथ, क्लॉज़ 17 के नियमों के अनुसार, और उसे, जैसा भी हो, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा।

4.13 मात्राओं की अनुसूची

मात्राओं का शेड्यूल, जब तक कुछ और न कहा गया हो, माप के स्टैंडर्ड तरीके के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

जानकारी में या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के शेड्यूल से आइटम के छूट जाने से यह कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और क्लॉज़ 17 के तहत पता लगाई गई उसकी कीमत, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती हुई है, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर के रेट्स के शेड्यूल में ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

4.14 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर देने से पहले काम के लिए अपने टेंडर की सही और काफ़ी होने और क्वांटिटी के शेड्यूल और/या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

4.15 कार्यों का मापन

4.15.1 असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) समय-समय पर कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि उन्हें काम का मेज़रमेंट करवाना है, और कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) की मदद करने के लिए किसी क्वालिफाइड एजेंट को भेजेगा या उनके पास जाएगा ताकि वे ऐसे मेज़रमेंट और कैलकुलेशन कर सकें और सभी डिटेल्स दे सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी मदद दे सकें।
4.15.2 अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे एजेंट को भेजने में आनाकानी करता है या उसे भेजना भूल जाता है, तो असिस्टेंट मैनेजर (टेक)/मैनेजर (टेक) द्वारा लिया गया मेज़रमेंट ही काम का सही मेज़रमेंट माना जाएगा। ऐसे मेज़रमेंट, मेज़रमेंट के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे, जिसके बारे में नीचे बताया गया है।
विशेष विवरण।

4.15.3 कॉन्ट्रैक्टर या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय, ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।

4.16 एक्स्ट्रा वगैरह के लिए कीमतें पता लगाना

4.16.1 कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर से ऑथराइज़्ड होने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या क्वांटिटी के शेड्यूल में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है, या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं हटाएगा या कोई बदलाव नहीं करेगा। एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया कोई ज़ुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वह सात दिन में लिखकर कन्फर्म करता है, तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा।

4.16.2 किसी भी एक्स्ट्रा के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह एम्प्लॉयर की सहमति से क्लॉज़ 5 के प्रोविज़न के तहत पूरा न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी एक्स्ट्रा को यहाँ ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

4.16.2.1 (i) मूल टेंडर में दी गई शुद्ध दरें अथवा कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी प्रकृति का हो और उसी प्रकार की परिस्थितियों में निष्पादित किया गया हो, जैसा कि उसमें मूल्यांकित कार्य है।

(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

4.16.2.2 ओरिजिनल टेंडर की नेट कीमतों से छूटी हुई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, लेकिन अगर छूटी हुई चीज़ों से उन हालात में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

4.16.2.3 जहां एक्स्ट्रा काम पहले बताए गए तरीके से मिलते-जुलते नहीं हैं और/या वैसी ही शर्तों के तहत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम ऐसी है कि एम्प्लॉयर की राय में, क्वांटिटी के प्राइस्ड शेड्यूल या टेंडर में या काम के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल है या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू नहीं होता है, तो एम्प्लॉयर ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

4.16.2.4 जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर को जिले के लोकल डे वर्क रेट और मज़दूरी के हिसाब से नेट रेट पर डे वर्क प्राइस दिए जाएँगे, लेकिन दोनों ही मामलों में, रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल हुए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के बाद वाले हफ़्ते के आखिर तक या उससे पहले बैंक के एम्प्लॉयर को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएँ।

कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में माप और मूल्यांकन अपेंडिक्स में बताए गए "फाइनल माप की अवधि" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है, तो इसके क्लॉज़ 21 में परिभाषित किया जाएगा।

4.17 अनफिक्स्ड मटीरियल को एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी माना जाता है

जहां किसी सर्टिफिकेट में (जिसका कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिल गया है) एम्प्लॉयर ने काम के लिए और/या काम पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी बन जाएगा और एम्प्लॉयर की लिखी हुई इजाज़त के बिना, काम पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा।

4.18 अनुचित कार्य को हटाना

काम के दौरान, एम्प्लॉयर को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि वह ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से ऐसे किसी भी सामान को हटा दे, जो एम्प्लॉयर की राय में एम्प्लॉयर के स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के अनुसार नहीं है, सही सामान बदले, और ऐसे किसी भी काम को हटाए और ठीक से दोबारा करे जो ड्रॉइंग्स और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के अनुसार नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऑर्डर को अपने खर्च पर पूरा करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो एम्प्लॉयर के पास दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें काम पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

4.19 वर्चुअल पूरा होने के बाद दोष

कोई भी खराबी, सिकुड़न, जमाव या दूसरी कमियां जो अपेंडिक्स में बताए गए "डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड" के अंदर, सिस्टम के चालू होने की तारीख से 36 महीनों के अंदर दिख सकती हैं, जो एम्प्लॉयर की राय में कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक न होने वाले मटीरियल या कारीगरी की वजह से होती हैं, एम्प्लॉयर के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर उन्हें ठीक करेगा और डिफॉल्ट होने पर, एम्प्लॉयर ऐसे दोषों, दूसरी कमियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च कॉन्ट्रैक्टर को भरने होंगे और वहन करने होंगे और ऐसे नुकसान, हानि और खर्च एम्प्लॉयर उससे वसूल कर सकता है या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऐसे बदलाव और ठीक करने के बदले में कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसी रकम काट सकता है, जो एम्प्लॉयर तय करेगा और जो ऐसे काम को ठीक करने की लागत के बराबर होगी। अगर क्लॉज़ 4.32 के तहत रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम कॉन्ट्रैक्टर से वसूल की जाएगी, साथ ही एम्प्लॉयर ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, वे भी वसूल किए जाएंगे। अगर काम पर रखे गए किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर ने कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, जिसे एम्प्लॉयर ने क्लॉज़ 4.13 और 4.22 के मुताबिक नॉमिनेट या अप्रूव किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसी तरह ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जैसे कि ऐसा काम या सामान कॉन्ट्रैक्टर ने किया हो या सप्लाई किया हो और इस क्लॉज़ के प्रोविज़न के तहत हो। एम्प्लॉयर द्वारा किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्टर इस क्लॉज़ के प्रोविज़न के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

4.20 वर्चुअल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड

काम तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक एम्प्लॉयर लिखकर यह सर्टिफ़ाई न कर दे कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड ऐसे सर्टिफ़िकेट की तारीख से शुरू होगा।

4.21 नामित उप-ठेकेदार

4.21.1 सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई या फिक्सिंग का काम करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइस या प्रोविजनल रकम क्वांटिटी और/या

स्पेसिफिकेशन्स के शेड्यूल में शामिल हैं, जिन्हें एम्प्लॉयर नॉमिनेट या चुन सकता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पर रखे गए सब-कॉन्ट्रैक्टर घोषित किया जाता है और उन्हें यहां नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है।

4.21.2 ऐसे किसी भी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर को काम पर या काम के सिलसिले में काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके ख़िलाफ़ कॉन्ट्रैक्टर वाजिब एतराज़ करे या (सिवाय इसके कि एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर किसी और तरह से सहमत हों) जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगा।

4.21.2.1 नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर, सब-कॉन्ट्रैक्टर के संबंध में कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी के खिलाफ़ कॉन्ट्रैक्टर को हर्जाना देंगे, जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में करता है।

4.21.2.2 नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर, सब-कॉन्ट्रैक्टर, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी स्कैफोल्डिंग या दूसरे प्लांट, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर को हर्जाना देगा।

4.21.2.3 नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट चौदह दिनों के अंदर करना होगा, बशर्ते कि पिछले सर्टिफिकेट में शामिल नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, एम्प्लॉयर पेमेंट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से एम्प्लॉयर और सब-कॉन्ट्रैक्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

4.22 नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

एम्प्लॉयर के पास इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए जगह और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता हो, और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4.23 व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

4.23.1 कॉन्ट्रैक्टर को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो उसके या किसी नॉमिनेटेड सब-कॉन्ट्रैक्टर या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस क्लॉज़ में, दूसरी बातों के साथ-साथ, बिल्डिंग्स को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वे आस-पास हों या किसी और वजह से, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट का विषय बनने वाली बिल्डिंग्स और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुआ कोई भी नुकसान शामिल माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा और ऊपर बताई गई किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी खर्चों के लिए और किसी भी लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के तहत चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवज़े या नुकसान के किसी भी अवॉर्ड के संबंध में उसे नुकसान से बचाएगा।

4.23.2 कॉन्ट्रैक्टर इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से पूरा हो सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई हो सके या उन्हें पूरा किया जा सके।

4.23.3 कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से बचाएगा जो आम जनता या किसी तीसरे पक्ष द्वारा काम के संबंध में या उसके नतीजों में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए एम्प्लॉयर के खिलाफ किए जा सकते हैं। और अपने खर्च पर, कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक, ऐसे जोखिमों के खिलाफ एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नाम से एक मंज़ूर ऑफिस में इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा। कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से भी बचाएगा जो एम्प्लॉयर पर वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट या इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या कॉन्ट्रैक्टर के किसी कर्मचारी या किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर के संबंध में कॉमन लॉ के तहत किए जा सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक, वह अपने खर्चे पर, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नाम से ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक अप्रूव्ड ऑफिस में एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा।

4.23.4. कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर रखा जा सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले किसी भी खर्च, चार्ज या शुल्क के लिए और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना भी देगा।

4.23.5 एम्प्लॉयर को किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और खर्च की रकम, जो किसी भी ऐसे दावे या नुकसान से हुई हो या उसके संबंध में हो, कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाली या मिलने वाली किसी भी या सभी रकम में से काटने का अधिकार होगा, इससे एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4.24 <u>अग्नि बीमा</u>

(a) कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर काम का इंश्योरेंस कराएगा और तब तक उसका इंश्योरेंस रखेगा जब तक
काम के लगभग पूरा होने पर, एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के जॉइंट नामों में आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ (पॉलिसी में पहले वाले का नाम पहले रखा जाएगा), कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम के लिए और अगर एम्प्लॉयर ऐसा करने के लिए कहे तो किसी भी और रकम के लिए, ऐसी और रकम का प्रीमियम, कॉन्ट्रैक्टर को एक ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा के तौर पर दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी सिर्फ़ एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी और क्लेम का असेसमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर और सर्वेयर की फीस और आम तौर पर बहाली में उसकी सर्विस के संबंध में कवर करेगी और कॉन्ट्रैक्टर या किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर या कर्मचारी की किसी भी प्रॉपर्टी को कवर नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें, जैसा बताया गया है, जमा करेगा, जब तक कि एम्प्लॉयर द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर उसकी ओर से, काम का इंश्योरेंस कर सकता है और पेमेंट किए गए प्रीमियम को किसी भी बकाया पैसे से काट

सकता है जो कॉन्ट्रैक्टर को देना है या जो ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, कॉन्ट्रैक्टर को देना है। अगर काम रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिसी के तहत क्लेम सेटल होते ही, या अगर इंश्योरेंस ऑफिस काम फिर से शुरू करता है, तो वह पूरी सावधानी से काम पूरा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आग लगी ही नहीं थी और सभी मामलों में कॉन्ट्रैक्ट की उन्हीं शर्तों के तहत। आग लगने के बाद दोबारा बनाने या फिर से शुरू करने के मामले में, कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए उतना समय बढ़ाने का हक होगा जितना एम्प्लॉयर ठीक समझे।

(b) ऊपर बताई गई रकम, ठीक से किए गए कामों और साइट पर काम में इस्तेमाल के लिए डिलीवर किए गए कॉन्ट्रैक्ट मटीरियल और सामान की कुल कीमत होगी, जो उस सर्टिफिकेट की तारीख से सात दिन से ज़्यादा पहले की तारीख तक होगी। इसमें एम्प्लॉयर द्वारा रखी जाने वाली रकम (जैसा कि आगे बताया गया है) और इस क्लॉज़ के तहत पहले दी गई किश्तों को घटाकर शामिल किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे सर्टिफिकेट में सिर्फ़ उस मटीरियल और सामान की कीमत शामिल होगी जो समय-समय पर सही तरीके से, सही तरीके से और समय से पहले साइट पर नहीं लाया गया हो, और वह भी तभी जब उन्हें ठीक से स्टोर किया गया हो और/या मौसम से बचाया गया हो।

4.25 प्रारंभ <u>और समापन की तिथि</u>

कॉन्ट्रैक्टर को अपेंडिक्स में बताई गई "शुरू होने की तारीख" या एम्प्लॉयर द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके बाद और उसके साथ ही काम करेगा और उसे रेगुलर तौर पर आगे बढ़ाएगा और अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तारीख" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर जिनमें एम्प्लॉयर देरी करना चाहे) लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।

4.26. <u>काम पूरा न होने पर हर्जाना</u>

अगर कॉन्ट्रैक्टर यहां पहले बताए गए अपेंडिक्स में बताई गई तारीख तक या क्लॉज़ 28 के तहत किसी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और एम्प्लॉयर लिखकर सर्टिफ़ाई करता है कि उसकी राय में काम ठीक-ठाक पूरा हो जाना चाहिए था, तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को अपेंडिक्स में "लिक्विडेटेड डैमेज" के तौर पर बताई गई रकम उस समय के लिए देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की रकम काट सकता है।

<u>4.27 समय का विलंब और विस्तार</u>

अगर एम्प्लॉयर की राय में, काम में देरी हो रही है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक अथॉरिटीज़ की तरफ़ से की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो कॉन्ट्रैक्टर की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुई हो या (d) एम्प्लॉयर द्वारा रखे गए या नॉमिनेटेड दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या कारीगरों के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र मात्राओं के शेड्यूल और/या स्पेसिफिकेशन में नहीं है या (e) क्लॉज़ 2 के अनुसार एम्प्लॉयर के निर्देशों की वजह से या (f) नागरिक हंगामे,

कामगारों के लोकल मेल-जोल या हड़ताल या तालाबंदी की वजह से, जिससे किसी भी बिल्डिंग ट्रेड पर असर पड़ रहा हो या (g) कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर से ज़रूरी निर्देश, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया हो, सही समय पर न मिलने की वजह से या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल से बाहर सर्टिफ़ाई कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत, बदलाव की वजह से तय मात्राओं के शेड्यूल की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करने के लिए सही और सही समय बढ़ाना, ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में भी कॉन्ट्रैक्टर देरी रोकने की लगातार कोशिश करेगा और काम आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो।

4.28 कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर के निर्देशों का पालन न करना

अगर कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर कम्प्लायंस की ज़रूरत बताई गई है, ऐसे आगे के ड्रॉइंग्स का पालन नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से वसूल कर सकता है या कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

4.29 नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति

यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है या स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय और परिसमापक के आधिकारिक समनुदेशिती की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो दिवालियापन या समापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, नियोक्ता की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या अगर कॉन्ट्रैक्टर (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस झेलता है,
कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा ,

या एम्प्लॉयर की लिखित सहमति के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन या सबलेट नहीं करेगा,

या इस कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को इसके तहत मिलने वाले किसी भी पेमेंट पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर एम्प्लॉयर यह तय करता है कि कॉन्ट्रैक्टर

4.29.1 कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, या

4.29.2 काम शुरू करने में फेल हो गया है, या एम्प्लॉयर से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी बहाने के 14 दिनों के लिए काम की प्रोग्रेस रोक दी है, या
4.29.3 काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और ऐसी सही प्रोग्रेस करने में नाकाम रहा है जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या
4.29.4 लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी साइट से सामान हटाने या काम को हटाने और बदलने में नाकाम रहा है, कि एम्प्लॉयर ने इन शर्तों के तहत उस सामान या काम को खराब और रिजेक्ट कर दिया है या
4.29.5 इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर को जो काम, बातें या चीज़ें माननी और करनी थीं, उनमें से किसी या सभी को मानने और करने में लगातार नज़रअंदाज़ किया है या नाकाम रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को लिखकर नोटिस देने के सात दिन बाद तक, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को उनका पालन करने या करने के लिए कहा गया हो।

तब और बताए गए किसी भी मामले में, एम्प्लॉयर किसी भी पिछली छूट के बावजूद, कॉन्ट्रैक्टर को लिखकर सात दिन का नोटिस देने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट और उसकी देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेंगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट इस तरह तय नहीं किया गया था, और जैसे बाद में किए गए काम कॉन्ट्रैक्टर ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, एम्प्लॉयर अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम पर जा सकता है और उस जगह या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औजार, मचान, मशीनरी और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए काम करने और पूरा करने में लगा सकता है या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने के लिए लगा सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और फिनिशिंग करने या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने के लिए लगा सकता है। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, जब सुविधा हो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर नोटिस मिलने के बीस दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद एम्प्लॉयर लिखकर यह पता लगाएगा कि एम्प्लॉयर द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए एम्प्लॉयर को या उसके द्वारा क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और काम पूरा करवाने में एम्प्लॉयर को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर कोई रकम कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, तो वह रकम और उसके बाद एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर को, जैसा भी मामला हो, दी जाने वाली रकम, और एम्प्लॉयर का फैसला पार्टियों के बीच आखिरी और पक्का होगा।

4.30 ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति

4.30.1 अगर एम्प्लॉयर को देने वाली रकम का पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एम्प्लॉयर को ऊपर बताई गई रकम के पेमेंट की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया है या अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट से मना कर देता है, या अगर एम्प्लॉयर के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम एक महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर को लिखित सूचना देकर कॉन्ट्रैक्ट तय करने की आज़ादी होगी और वह एम्प्लॉयर से किए गए सभी कामों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए पेमेंट वसूलने का हकदार होगा।

4.30.2 ऐसे पेमेंट की रकम तय करने में, कॉन्ट्रैक्टर के ओरिजिनल टेंडर में दिए गए नेट रेट को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू न हों, वहां वैल्यूएशन इसके क्लॉज 17 के अनुसार किया जाएगा।

4.31 प्रमाणपत्र और भुगतान

4.31.1 एम्प्लॉयर समय-समय पर कॉन्ट्रैक्टर को अंतरिम सर्टिफिकेट के तहत किश्तों में पेमेंट करेगा। यह पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को किए गए कामों के लिए किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, अपेंडिक्स में "अंतरिम सर्टिफिकेट के लिए काम की कीमत" के तौर पर बताई गई लगभग कीमत (या एम्प्लॉयर की समझ से कम) तक का काम किया गया है। इसके बाद, किश्तें काम की पूरी कीमत तक होंगी , जो बाद में किया गया और बिल्डिंग में लगाया गया। एम्प्लॉयर अपनी समझ से, अंतरिम सर्टिफिकेट में उतनी रकम शामिल कर सकता है, जितनी उसे काम में इस्तेमाल के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा साइट पर दिए गए सामान के लिए सही लगे। और जब काम लगभग पूरा हो गया हो और एम्प्लॉयर ने लिखकर सर्टिफ़ाई कर दिया हो कि काम पूरा हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर द्वारा लिखित में जारी किए जाने वाले फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट के अनुसार फ़ाइनल बैलेंस के पेमेंट का हक़दार होगा। यह सर्टिफ़िकेट उस समय के खत्म होने पर मिलेगा जिसे इस अपेंडिक्स में "डिफ़ेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड" कहा गया है। यह समय काम के असल मकसद और मतलब के हिसाब से पूरा होने और कमियों को ठीक करने के बाद, जो भी बाद में हो, होगा। यह हमेशा शर्त है कि काम के चलने के दौरान या उसके पूरा होने के बाद एम्प्लॉयर द्वारा कोई भी सर्टिफ़िकेट जारी करने से कॉन्ट्रैक्टर को क्लॉज़ 4.20 के तहत उसकी ज़िम्मेदारी से राहत नहीं मिलेगी और न ही काम या मटीरियल से जुड़े धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ी से छिपाने के मामलों में या सर्टिफ़िकेट में बताए गए किसी भी मामले में, और काम या मटीरियल में उन सभी कमियों और कमियों के मामले में कॉन्ट्रैक्टर को उसकी नाकाबिलियत से राहत मिलेगी, जिनका सही जांच से पता नहीं चलता। कोई भी सर्टिफिकेट अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान, जिससे वह जुड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है। न ही कॉन्ट्रैक्टर का उन पैसों पर कोई दावा होगा जिन्हें एम्प्लॉयर ने किसी अंतरिम बिल में सर्टिफ़ाई किया हो और एम्प्लॉयर ने चुकाया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं हैं। इस मामले में एम्प्लॉयर का फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।

4.31.2 अगर काम या उसका कोई हिस्सा एम्प्लॉयर की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर के पास कोई भी सर्टिफिकेट रोकने का अधिकार होगा।

4.31.3 एम्प्लॉयर किसी भी सर्टिफिकेट के ज़रिए, उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले सर्टिफिकेट में कोई भी सुधार कर सकता है।

4.31.4 अगर कॉन्ट्रैक्टर वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने तक काम का इंश्योरेंस नहीं कराता है और उसे इंश्योरेंस में नहीं रखता है, तो कोई सर्टिफिकेट या पेमेंट जारी नहीं किया जाएगा।
4.31.5 भुगतान, प्रमाणपत्रों के नियोक्ता को वितरित किए जाने के बाद, परिशिष्ट में नामित अवधि "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर किया जाएगा।

4.32 विलंबित भुगतान

नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि यदि परिशिष्ट में नामित "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस राशि के नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने की तिथि से भुगतान तक परिशिष्ट में नामित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" दर पर ब्याज लगेगा।

4.33 मामले जिनका अंतिम निर्णय नियोक्ता द्वारा किया जाएगा

क्लॉज़ 2(a), 2(b), 4,7,12,19,28 (a,b ,c,d,f) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में फ़ैसला, राय, निर्देश, सर्टिफ़िकेट (पेमेंट को छोड़कर), (जिन मामलों को यहां अपवादित मामले कहा गया है) आख़िरी और निर्णायक होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और इसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं होगी। एम्प्लॉयर का कोई भी दूसरा फ़ैसला, राय, निर्देश, सर्टिफ़िकेट या वैल्यूएशन या एम्प्लॉयर का इनमें से कुछ भी देने से इनकार करना, क्लॉज़ 35 के तहत आर्बिट्रेशन और रिव्यू के अधिकार के अधीन होगा, ठीक वैसे ही जैसे सभी मामलों में (रेफ़रेंस खोलने के प्रावधान सहित) एम्प्लॉयर का फ़ैसला होता है।

4.34 मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

अगर काम के दौरान या काम पूरा होने के दौरान कोई झगड़ा या मतभेद होता है (चाहे काम के चलने के दौरान हो या पूरा होने के बाद और चाहे तय होने, छोड़ने या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पहले हो या बाद में) तो यहां बताए गए किसी भी छूटे हुए मामले को छोड़कर, पार्टियां पहले ऐसे झगड़ों या मतभेदों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगी। अगर दोनों पार्टियां ऐसे आपसी समझौते पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो सभी झगड़े या मतभेदों को आखिर में यहां बताए गए आर्बिट्रेटर सुलझाएंगे।

अगर पार्टियां इस तरह के आपसी समझौते से समझौता नहीं कर पाती हैं, तो कोई भी पार्टी 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को एक लिखित नोटिस दे सकती है, जिसमें यह कहा जाएगा कि विवाद या मतभेद वाले सभी मामलों पर आर्बिट्रेशन किया जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों के बारे में बताया जाएगा जिन पर विवाद या मतभेद है और जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई दूसरा मामला दोनों पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए एक ही आर्बिट्रेटर के आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा या अगर एक ही आर्बिट्रेटर की नियुक्ति पर असहमति है, तो दो आर्बिट्रेटर (हर पार्टी द्वारा एक नियुक्त किया जाएगा) और आर्बिट्रेटर द्वारा नियुक्त एक अंपायर की नियुक्ति की जाएगी। आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम ऐसे आर्बिट्रेशन पर लागू होंगे।

अगर आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर में से कोई भी, जैसा भी हो, मर जाता है, काम करने से मना कर देता है, इस्तीफा दे देता है या किसी भी वजह से काम करने में असमर्थ हो जाता है, या कोर्ट किसी भी वजह से अवॉर्ड रद्द कर देता है, तो पार्टियों के लिए ऊपर बताए गए तरीके से दूसरा आर्बिट्रेटर नियुक्त करना कानूनी होगा।

आर्बिट्रेशन की जगह तिरुवनंतपुरम, INDIA होगी।

इस शेड्यूल के तहत नियुक्त आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर मिलकर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे और पार्टियों की सहमति से फैसला सुनाने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार उनके पास होगा।

आर्बिट्रेशन और उस पर अवार्ड के लिए रेफरेंस पेंडिंग होने तक, पार्टियां यहां कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सभी तरह से काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी और सभी झगड़े, अगर कोई हों, तो आखिर में आर्बिट्रेशन में सुलझा लिए जाएंगे।

आर्बिट्रेशन के हर या ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, जैसा कि यहां बताया गया है, रेफरेंस और अवॉर्ड की लागत और उससे जुड़े खर्च, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स या अंपायर, जैसा भी मामला हो, के विवेक पर होंगे, जो इसकी रकम तय कर सकते हैं।

आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर या अंपायर, जैसा भी मामला हो, झगड़े के हर मामले के बारे में सोच-समझकर फैसला देंगे जो आखिरी होगा और दोनों पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर का फैसला नहीं आ जाता, जैसा भी मामला हो, वह यहां कॉन्ट्रैक्ट के नियमों और शर्तों का पालन करेगा, साथ ही यहां कॉन्ट्रैक्ट किए गए काम को असल में करने के बारे में निर्देशों का भी पालन करेगा और कोई भी फैसला कॉन्ट्रैक्टर को यहां कॉन्ट्रैक्ट के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करने और काम को असल में करने के बारे में निर्देशों का पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। बैंक और कॉन्ट्रैक्टर इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस शेड्यूल के तहत आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं, समझौता कर लेती हैं या कंपाउंड कर लेती हैं, तो आर्बिट्रेशन के लिए रेफरेंस और आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, या अंपायर, जैसा भी हो, का अपॉइंटमेंट रद्द माना जाएगा और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या खत्म हो जाएगी, जिस तारीख को पार्टियां आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स या अंपायर, जैसा भी हो, के पास सेटलमेंट का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करती हैं।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "अपवादित मामले" का तात्पर्य कार्य के दायरे, अनुबंध मूल्य, वितरण अनुसूची और अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र के तहत सभी या किसी भी मामले से होगा।

4.35 <u>फ़ाइनल बिल की टेक्निकल जांच का अधिकार</u>

एम्प्लॉयर को काम की टेक्निकल जांच करने और कॉन्ट्रैक्टर के फाइनल बिल, जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल हैं, की जांच करने का अधिकार होगा, जो फाइनल बिल के पेमेंट के समय बनाए जाएंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा पेमेंट की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो एम्प्लॉयर के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

4.36 <u>नियोक्ता कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को वसूलने का हकदार है</u>

अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉयर, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टर से दिए गए कम्पनसेशन की रकम

वसूलने का हक होगा, और इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयर को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत या किसी और तरह से कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम से काटकर ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा वसूलने की आज़ादी होगी। एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर के लिखकर रिक्वेस्ट करने और एम्प्लॉयर को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के अलावा, जिसके लिए एम्प्लॉयर ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है, उस एक्ट के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा।

4.37 कार्यों का परित्याग

टेंडर स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, एम्प्लॉयर, किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को करवाने की ज़रूरत नहीं समझेगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को लिखकर नोटिस देगा। कॉन्ट्रैक्टर का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के पेमेंट का कोई दावा नहीं होगा।

4.38 अधिशेष सामग्री की वापसी

इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी या सभी क्लॉज़ में इसके उलट कुछ भी होने पर भी, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी सामान एम्प्लॉयर की मदद से सरकार के ऑर्डर, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट के मकसद के लिए रखेगा और एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे फेंकेगा नहीं और अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उसे एम्प्लॉयर को उस कीमत पर लौटा देगा जो एम्प्लॉयर तय करेगा, जिसमें सामान की हालत का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे टैक्स शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, कॉन्ट्रैक्टर, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण एम्प्लॉयर को हुए सभी पैसे, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

4.39 कॉन्ट्रैक्टर की मौत होने पर, अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर कॉन्ट्रैक्टर, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो एम्प्लॉयर के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

4.40 सीमांत नोट्स

यहां और साथ में दिए गए एनेक्सर में दी गई हेडिंग और लाइनें सिर्फ़ आसानी से समझने के लिए हैं और इन प्रेजेंटेशन और साथ में दिए गए एनेक्सर के मतलब में इन्हें किसी भी तरह से ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

जगह
तारीख
ठेकेदार के हस्ताक्षर
नाम
फर्म की पदनाम मुहर

<u>खंड V</u>

इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1.	दोष दायित्व अवधि	वर्चुअल की तारीख से बारह महीने **इसके पश्चात संदर्भित शर्तें** " खंड के खंड 4.20 में संदर्भित पूर्णता प्रमाणपत्र ।
2.	अंतिम माप की अवधि	45 दिन
3.	प्रारंभण की तिथि	स्वीकृति पत्र की तारीख से 10 वां दिन।
4.	पूरा होने की तारीख	वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तारीख।
5.	की दर से परिसमाप्त क्षति	हर हफ़्ते कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 0.25%, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकता है।
6.	ईएमडी	कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 2% और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10 परसेंट BG जमा करने पर रिलीज़ किया जाएगा।
7.	आरएमडी	हर ऑन-अकाउंट बिल से 5% रिटेंशन मनी तब तक रिकवर की जाएगी, जब तक कुल रिकवरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% न हो जाए, जैसा कि टेंडर डॉक्यूमेंट में बताया गया है। इसे एक साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद रिलीज़ किया जाएगा।
8.	प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने।
9.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	3% प्रति वर्ष

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

खंड VI

परिशिष्ट I
चेक सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

आर्थिक स्थितियां

क्रमांक I	विवरण	बैंक की शर्तें	की स्वीकृति बैंक की शर्तें (हां नहीं)
1	वैधता	निविदा भाग-I खुलने से 90 दिन	
2	ईएमडी	₹ 30,000/-	
3	अदायगी की शर्तें	**खंड संख्या 3.18 के अनुसार**	
4	तकनीकी निर्देश	टेंडर के पार्ट I में दिए गए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार	
5	गारंटी अवधि	हैंडओवर की तारीख से कम से कम 12 महीने।	
6	प्रदर्शन बैंक गारंटी	अनुबंध राशि का 10%	
7	आरएमडी	हर ऑन-अकाउंट बिल से 5% रिटेंशन मनी तब तक रिकवर की जाएगी, जब तक कुल रिकवरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% न हो जाए, जैसा कि टेंडर डॉक्यूमेंट में बताया गया है। इसे एक साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद रिलीज़ किया जाएगा।	
8	बिक्री के बाद सेवा	गारंटी पीरियड के दौरान फ़्री, जिसमें अगर ज़रूरी लगे तो कोई भी मटीरियल/असेंबली/इक्विपमेंट/स्पेयर्स/लेबर बदलना भी शामिल है।	
9	समापन अवधि	काम का लेटर मिलने के 10वें दिन से 45 दिन।	
10	परिसमापन हर्जाना	देरी के हर हफ़्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 0.25%, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।	
11	सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना	टेंडर के पार्ट I में लागू क्लॉज़ 3.15 के अनुसार	

12	स्पेयर पार्ट्स / टूल्स मुफ़्त में दिए जाएंगे	टेंडर के पार्ट I के क्लॉज़ 3.15 के अनुसार	
1 3	बीमा	टेंडर के पार्ट I के क्लॉज़ 3.19 के अनुसार	
14	पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी		
15	भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने के बारे में बोली लगाने वाले देश का वादा		
16	एनेक्सर 2 (साइट विज़िट के बारे में) और एनेक्सर 4 (मेंटेनेंस कन्फर्मेशन के बारे में) के अनुसार अंडरटेकिंग्स		
17	अलग-अलग कंपोनेंट्स का टेक्निकल लिटरेचर और सिस्टम का राइट-अप		
18	टेंडर के सभी कमर्शियल नियमों और शर्तों का पालन		
19	टेंडर की सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और शर्तों का पालन		
20	एईआरबी प्रमाणित		
21	CE प्रमाणित		
22	खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमाणित		

पार्ट II में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ़ प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर पार्ट II में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल हैं, तो वे वैलिड नहीं होंगी या उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जगह
तारीख
ठेकेदार के हस्ताक्षर
नाम पदनाम
फर्म की मुहर

परिशिष्ट (II)

वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए डेविएशन को छोड़कर बैंक के सभी कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस हमें एक्सेप्टेबल हैं।

क्रमांक I	खंड सं.	खंड सं.	प्रस्तावित विचलन
1	2	3	4

परिशिष्ट (III)

तकनीकी विचलन की अनुसूची

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए डेविएशन को छोड़कर बैंक के सभी टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस और स्पेसिफिकेशन्स हमें एक्सेप्टेबल हैं।

क्रमांक I	खंड सं.	खंड सं.	प्रस्तावित विचलन
1	2	3	4

कंपनी की मुहर
हस्ताक्षर

नाम
पद का नाम
तारीख

धारा VII
तकनीकी निर्देश

3D व्यू X-Ray बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम के मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन

ऑफ़र किया गया मेक:

पेश किया गया मॉडल:

एस. नं.	विशेषता	विनिर्देश	अनुपालन (हां नहीं)
1	सुरंग का आकार	न्यूनतम 600 mm W (चौड़ाई) x न्यूनतम 400 mm H (ऊंचाई)	
2	कन्वेयर बेल्ट की गति	0.18 और 0.3 मीटर प्रति सेकंड के बीच। कन्वेयर मूवमेंट बाई-डायरेक्शनल। 5 मिनट के बाद सामान न होने पर ऑटो स्टॉप।	
3	शक्ति मांग	ऑपरेटिंग वोल्टेज (v): 230 VAC +/10%, 50Hz सिंगल फेज़, और ऊपर बताई गई रेंज में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम होना चाहिए।	
4	कन्वेयर क्षमता	150 किलोग्राम या उससे अधिक	
5	सेंसर	सेंसर > 1000 डायोड, L-शेप का डिटेक्टर (फोल्डेड ऐरे टाइप), खराब डायोड ऐरे के मामले में, स्कैनिंग बंद कर देनी चाहिए, और स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखना चाहिए।	
6	एक्स-रे वोल्टेज	140 केवी या अधिक	
7	एक्स-रे स्रोत/जनरेटर	कम से कम दस साल तक आसानी से काम करने में सक्षम होना चाहिए	
8	साइकिल शुल्क	100%	
9	शीतलक	सीलबंद तेल स्नान	
10	एक्स-रे किरण विचलन	X-ray बीम डाइवर्जेंस ऐसा होना चाहिए कि बैग के मैक्सिमम साइज़ पर पूरी इमेज बिना किसी कोने के कट के दिखे।	
11	विकिरण स्तर	रेडिएशन लेवल एक्सेप्टेड हेल्थ स्टैंडर्ड (बाहरी हाउसिंग से 5 cm की दूरी पर 0.1m R/Hr) से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। AERB से संबंधित सर्टिफिकेट अटैच करना होगा।	
12	परिचालन तापमान	0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक।	

13	भंडारण तापमान	0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक।	
14	नमी	90% गैर-संघनक	

एस. नं.	विशेषता	विनिर्देश	अनुपालन (हां नहीं)
15	संकल्प	मशीन 42-SWG या 38 AWG का सिंगल अन-इंसुलेटेड टिन वाला कॉपर वायर दिखा सके। सभी पेनेट्रेशन और रिज़ॉल्यूशन कंडीशन बिना कोई फंक्शनल बटन दबाए पूरी होनी चाहिए और ऑनलाइन होनी चाहिए।	
16	प्रवेश	पेनेट्रेशन स्टील की मोटाई 35 mm या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।	
17	निरंतर इलेक्ट्रॉनिक ज़ूम सुविधा	इमेज के चुने हुए हिस्से को आठ गुना (8X) या उससे ज़्यादा बड़ा करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इमेज के फ़ीचर कीबोर्ड से कंट्रोल किए जा सकेंगे।	
18	वीडियो प्रदर्शन	21" या उससे बेहतर असरदार व्यूइंग एरिया LCD/LED फ्लैट मॉनिटर 0.25 mm डॉट पिच SVGA हाई रिज़ॉल्यूशन, कम रेडिएशन, फ्लिकर फ्री, चौड़ा तिरछा, रिज़ॉल्यूशन कम से कम 1280 x 1024, 24/32bit कलर रियल टाइम प्रोसेसिंग। सभी इमेज एन्हांसमेंट कंट्रोल सिस्टम से टचस्क्रीन एक्टिवेट होने चाहिए ताकि ऑपरेटर सभी इमेज की डिटेल्स साफ और दिखने में देख सके।	

19	बहु-ऊर्जा एक्स-रे इमेजिंग सुविधा	मशीन में मल्टी-एनर्जी एक्स-रे इमेजिंग सुविधा होनी चाहिए, जहाँ अलग-अलग एटॉमिक नंबर वाले मटीरियल को अलग-अलग रंगों में दिखाया जाएगा ताकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल में अंतर किया जा सके। मशीन को विस्फोटक और नारकोटिक्स सहित हाई-डेंसिटी ऑर्गेनिक मटीरियल का पता चलने पर ऑडियो और वीडियो अलार्म देना चाहिए, इसमें अलग-अलग रंग या मटीरियल स्ट्रिपिंग होनी चाहिए ताकि ऑपरेटर को इमेज को करीब से देखने के लिए मॉनिटर करने में आसानी हो। सभी संदिग्ध आइटम (विस्फोटक, हाई डेंसिटी मटीरियल, नारकोटिक्स, आदि) एक ही मोड में दिखाए जाने चाहिए और वह ऑनलाइन होना चाहिए।	
एस. नं.	विशेषता	विनिर्देश	अनुपालन (हां नहीं)
20	विकिरण सुरक्षा	मशीन को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन खतरों के संबंध में हेल्थ और सेफ्टी नियमों की ज़रूरतों का पालन करना होगा। मशीन के इंस्टॉलेशन से पहले, सप्लायर/मैन्युफैक्चरर को रेडिएशन सेफ्टी के संबंध में भारत के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) से संबंधित सर्टिफिकेट देना होगा और सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स: USFDA, होमलैंड सिक्योरिटी USA और काम पर हेल्थ और सेफ्टी का सर्टिफिकेट देना होगा। इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के पास एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग के लिए ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए।	
21	भोजन और फिल्म सुरक्षा	खाने की चीज़ों के लिए गारंटीड सेफ्टी। ISO1600 तक की हाई-स्पीड फ़िल्मों के लिए गारंटीड सेफ्टी। मशीनें फ़िल्म सेफ़ होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में , फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्में एक्स-रे जांच की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए।	

22	मशीन सुरक्षा	पेस्ट प्रूफ के लिए मशीन को सभी तरफ से ठीक से सील किया जाना चाहिए। जब सिस्टम इस्तेमाल में न हो, तो उसे ढकने के लिए डस्ट प्रूफ कवर देना होगा।	
23	परिवर्तनशील कंट्रास्ट सुविधा	इमेज के हल्के और गहरे हिस्से को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग कंट्रास्ट की सुविधा शामिल की जानी चाहिए।	
24	सॉफ्टवेयर संवर्द्धन	मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि इमेज प्रोसेसिंग और पैटर्न पहचानने की तकनीक का ध्यान रखने के लिए सॉफ्टवेयर एन्हांसमेंट को आसानी से लागू किया जा सके।	
25	पूर्ण डायग्नोस्टिक बिल्ट-इन टेस्ट सुविधा	मशीन में सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड डायग्नोसिस रिपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए और अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो सिस्टम को प्रिंटआउट देना चाहिए।	
26	पारणशब्द सुरक्षा	मशीन के सभी सॉफ्टवेयर फीचर्स ऑनलाइन और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए।	
27	पिछली छवियों को याद करना	मशीन में 15 या उससे ज़्यादा पिछली इमेज रिकॉल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए,	
28	छवि संग्रहण	इसमें डेट और टाइम स्टैम्प के साथ 3000 या उससे ज़्यादा इमेज को आर्काइव करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए।	
29	सुरक्षित आवास	सिक्योरिटी हाउसिंग और लॉकिंग प्रोविज़न वाला कंट्रोल डेस्क होना चाहिए। ऑपरेटर का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉग बनाने के साथ कीबोर्ड में डाला जा सकता है।	
30	छवि वृद्धि	इमेज एन्हांसमेंट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए	
31	छवि रिकॉर्डिंग सुविधा	मशीन में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए और इमेज को CD R/W या/और USB में रिकॉर्ड किया जा सके और स्टैंड-अलोन PC पर रिकॉर्ड की गई इमेज को देखा जा सके।	

32	सीसा संसेचित सुरक्षा स्क्रीन	टनल के दोनों सिरों पर लेड लगी सेफ्टी स्क्रीन होनी चाहिए। यह संबंधित AERB सर्टिफिकेट में कवर होना चाहिए। सामान रखने में आसानी के लिए टनल के दोनों सिरों (इनपुट और आउटपुट) पर आइडल रोलर्स लगाए जाएंगे।	

एस. नं.	विशेषता	विनिर्देश	अनुपालन (हां नहीं)
33	सॉफ्टवेयर नियंत्रण सुविधा	सभी सॉफ्टवेयर फीचर्स को मशीन के कीबोर्ड से ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। कीबोर्ड का फंक्शन यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सॉफ्टवेयर फीचर्स को इनेबल/डिसेबल करने के लिए, सिस्टम को रीबूट नहीं करना चाहिए।	
34	प्रवेश विफलता अलार्म	अगर मशीन किसी खास चीज़ में घुसने में फेल हो जाती है, तो ऑपरेटर को बताने के लिए एक अलार्म वीडियो और ऑडियो (दोनों) बनाना चाहिए।	
35	खतरा छवि प्रक्षेपण (टीआईपी)	थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन (TIP) सिस्टम सॉफ्टवेयर को X-Ray BIS ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा।	
36	सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि	रिकवरी CD के साथ X-Ray सॉफ्टवेयर समेत सभी सॉफ्टवेयर की कॉपी देनी होगी।	
37	आपरेशनल प्रशिक्षण	ऑपरेटिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए	
38	संचालन और सेवा मैनुअल	हर मशीन के साथ ऑपरेटिंग और सर्विस मैनुअल दिया जाएगा।	
39	अन्य सुविधाओं	a) एज और वेरिएबल एज एन्हांसमेंट।	
		b) इनवर्स वीडियो और ऑटोमैटिक इमेज आर्चिंग	
		c) सेट अप का समय 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।	
		d) छद्म रंग	
		ई) दिनांक और समय प्रदर्शन	
40	न्यूनतम कंप्यूटर विन्यास	CPU: लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन और लेटेस्ट जाने-माने ब्रांड विंडो और Linux के साथ ऊपर बताए गए स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करने वाला आउटपुट देने में सक्षम होना चाहिए।	

		i. प्रोसेसर: Core-i5 या बेहतर ii. हार्ड डिस्क: 1TB या बेहतर iii. 6 USB पोर्ट (कम से कम 2 आगे), 1 सीरियल पोर्ट, 1 पैरेलल पोर्ट, 1 PS/2 कीबोर्ड और 1 PS2 माउस पोर्ट, ऑडियो पोर्ट iv. माइक्रोफ़ोन और हेडफ़ोन सामने। RAM 4 GB या उससे बेहतर v. UPS: लोड उठाने के लिए पर्याप्त क्षमता	
		प्रिंटर: सिस्टम कम्पैटिबल	
		कंप्यूटर की जानकारी: मेक और मॉडल नंबर	
		माउस: ऑप्टिकल	
		पोर्ट: 6 USB पोर्ट (जिनमें से कम से कम 2 आगे की तरफ हों), 1 सीरियल पोर्ट, 1 पैरेलल पोर्ट, 1 PS/2 कीबोर्ड और 1 PS2 माउस पोर्ट, सामने की तरफ माइक्रोफोन और हेडफोन के लिए ऑडियो पोर्ट ।	
		CD-R/RW ड्राइव: DVD राइटर. 52 X से कम नहीं	
		नेटवर्किंग सुविधा: 10/100/1000 बेस T ऑन बोर्ड इंटीग्रेटेड नेटवर्क पोर्ट जिसमें रिमोट बूटिंग सुविधा, रिमोट सिस्टम इंस्टॉलेशन, रिमोट वेक अप, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट शामिल है किसी भी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके।	
41	तकनीकी	बैगेज इंस्पेक्शन में स्कैन की गई चीज़ों का आइसोमेट्रिक व्यू (वर्चुअल 3D व्यू) बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी मिल सके, जो ट्रेडिशनल 3D व्यू बैगेज इंस्पेक्शन में नहीं दिखता, जिसमें स्कैन की गई चीज़ का सिर्फ़ ऊपर या नीचे (2D) व्यू बनता है।	
42	देखना	मशीन को इमेज इस तरह से बनानी चाहिए कि किसी भी स्कैन की गई चीज़ की गहराई को ठीक से देखा जा सके, ताकि सामान के अंदर चीज़ की डिटेल्स को और एनालाइज़ किया जा सके और बंदूक/चाकू जैसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों की बेहतर पहचान की जा सके।	

टिप्स विशेषताएं		
	खतरे की छवि प्रक्षेपण	

	TIP सॉफ्टवेयर सुविधा दी जाने वाली एक्स-रे मशीनों में शामिल की जाएगी ताकि सुपरवाइज़र ऑपरेटर की सतर्कता की जांच कर सकें और एक्स-रे स्क्रीनर्स को खास खतरे वाली चीज़ की पहचान करने की उनकी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग दे सकें। सिस्टम एक खतरे वाली चीज़ बनाएगा और बैग की स्क्रीनिंग के दौरान उसे मॉनिटर स्क्रीन पर सुपरइम्पोज़ किया जाएगा। यह मानने के लिए कि ऑपरेटर ने झूठी चीज़ देखी है, ऑपरेटर को कंट्रोल पैनल की दबानी होगी जिससे कंप्यूटर से बनी खतरे वाली चीज़ VDU स्क्रीन पर एक्स-रे किए गए बैग की इमेज से गायब हो जाएगी। हर ऑपरेटर का एक्शन सुपरवाइज़र या किसी दूसरे अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऑडिटिंग के मकसद से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड किया जाएगा।	
	सिस्टम का डिज़ाइन	
	TIP सॉफ्टवेयर दूसरी X-Ray टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमैटिक रिजेक्ट यूनिट, डुअल X-ray स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक थ्रेट रिकग्निशन सिस्टम वगैरह के साथ कम्पैटिबल होना चाहिए। TIP के साथ सभी X-ray इमेज फंक्शन एक ही समय पर उपलब्ध होने चाहिए।	
	छवि लाइब्रेरी	
	TIP फैसिलिटी में एक इमेज लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें अलग-अलग साइज़, शेप, लोकेशन और ओरिएंटेशन में कम से कम 100 एक्सप्लोसिव डिवाइस, 100 चाकू और 100 फायरआर्म हों। हालांकि, सिस्टम में मैन्युफैक्चरर की मदद के बिना यूज़र द्वारा और इमेज शामिल करने के लिए लाइब्रेरी को बढ़ाने की सुविधा होनी चाहिए।	
	इमेज लाइब्रेरी में अलग-अलग ओरिएंटेशन पर खतरों की इमेज होनी चाहिए - प्लेन और एंड-ऑन ओरिएंटेशन दोनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि इन्हें अलग-अलग फ़ाइल नाम और रेफरेंस दिए जाएंगे, लेकिन इन्हें एक ही खतरे के तौर पर क्रॉस-रेफरेंस करना मुमकिन होना चाहिए। सभी खतरे की इमेज प्रोजेक्शन इमेज असली, दिखाने वाली और असली खतरे वाली चीज़ों से अलग न दिखने वाली होनी चाहिए।	
	समय अंतराल	

	अलग-अलग समय पर थ्रेट इमेज दिखाने के लिए प्रोग्रामिंग की सुविधा होगी। थ्रेट इमेज के साथ-साथ इमेज मिक्स का समय भी यूज़र प्रोग्राम कर सकेगा, जैसे, सॉफ्टवेयर 40% एक्सप्लोसिव डिवाइस, 35% फायरआर्म्स और 25% चाकू या रैंडम इमेज चुनेगा।	
	एक बार जब स्क्रीनर कंप्यूटर से बनी थ्रेट इमेज को पहचानने के लिए रिस्पॉन्ड कर देता है, तो उसे एनालिसिस के लिए पहले से तय यूज़र प्रोग्रामेबल टाइम तक स्क्रीन पर रहना चाहिए। पहचान होने पर इमेज हाइलाइट होनी चाहिए, और फीडबैक मैसेज स्क्रीनर को दिखना चाहिए।	
	सिस्टम प्रशासन	
	थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन फैसिलिटी में यूज़र डेटाबेस की डिटेल्स होंगी जैसे ऑफिस का नाम, स्क्रीनर का नाम, डेज़िग्नेशन, यूज़र ID नंबर, एक्सेस का लेवल जैसे स्क्रीनर, एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटेनेंस और पासवर्ड, वगैरह।	
	स्टार्ट-अप मेनू का एक्सेस सिर्फ़ ऑथराइज़्ड लोगों तक ही सीमित होना चाहिए। 'पासवर्ड' या 'सिक्योरिटी की' से लॉग-इन करने पर हर कमेंट तक सीमित एक्सेस मिल सकता है। लॉग-इन करने में 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सिस्टम में TIP सुविधा को बायपास करने की सुविधा होनी चाहिए, अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐसा प्रोग्राम किया हो। यह पक्का करना होगा कि TIP सॉफ्टवेयर एक्स-रे मशीन के नॉर्मल काम करने में रुकावट न बने।	
	जब ऑपरेटर लॉग- इन या लॉग-आउट करता है, तो XBIS VDU स्क्रीन पर यह कन्फर्म करने के लिए मैसेज दिखना चाहिए कि वह सही तरीके से लॉग-इन या लॉग-आउट हुआ है।	

	प्रतिक्रिया / रिपोर्ट	
	स्क्रीनर को फ़ीडबैक देने के लिए अलग-अलग कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि कलर कोड “MISS के लिए लाल”, “HIT” के लिए हरा और “गलत अलार्म या रुकावट” के लिए पीला इस्तेमाल किया जाए।	
	सिस्टम हर शिफ्ट और हर स्क्रीनर परफॉर्मेंस के लिए इवेंट्स का डेली लॉग ऑटोमैटिकली तैयार करेगा। TIP लॉग में लोकेशन, XBIS, स्क्रीनर का नाम, थ्रेट इमेज का समय और तारीख, थ्रेट इमेज की पहचान हुई या नहीं, वगैरह	

	की जानकारी शामिल होगी।	
	थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम पर रिपोर्ट में ज़रूरत के हिसाब से तारीख और समय (From-To), स्क्रीनर की जानकारी, और फैसला / नतीजा हो सकता है, यानी MISS, HIT या गलत अलार्म % में और साथ ही पूरी संख्या में, स्क्रीन किए गए बैग की संख्या, एक्सप्लोसिव डिवाइस, चाकू या हथियार जैसी कैटेगरी वगैरह।	
	एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर, रोज़ाना / हफ़्ते में एक बार / महीने की रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट कमांड के हिसाब से किसी भी दिए गए समय और समय के लिए होगी।	
	डाउनलोड होने के बाद सारा डेटा कम से कम दो महीने तक सिस्टम पर स्टोर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन कंपोनेंट्स का एक्सेस राइट्स हो या न हो, थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन डेटा को डिलीट या बदल नहीं सकता है या समय नहीं बदलेगा, यानी असली X-ray मशीन पर थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन डेटा सिर्फ़ पढ़ने वाली फ़ाइल होगी।	

टिप्पणी:-

ऊपर बताए गए स्पेसिफिकेशन्स बैंक को कम से कम मंज़ूर हैं। अगर कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स उनके बनाए गए इक्विपमेंट की रेंज से बाहर हैं, तो टेंडर देने वाले ज़्यादा और एडवांस्ड स्पेसिफिकेशन्स वाले इक्विपमेंट के लिए कोटेशन देने के लिए आज़ाद हैं।

किए जाने वाले टेस्ट :

I. सिंगल वायर रिज़ॉल्यूशन (टेस्ट नंबर 1)

25 SWG, 30, 35, 38, 40 और 42 SWG साइज़ के बिना इंसुलेटेड टिन वाले कॉपर वायर का एक सेट पर्सपेक्स शीट पर रखा जाता है। वायर को "S" शेप के कर्व में बिछाया जाता है। वायर को अलग-अलग मोटाई के एल्युमिनियम के पीछे रखा जाता है । यह दिखाना ज़रूरी है कि 42 SWG वायर स्टेप वेज से ढका नहीं है। सही वायर दिखने के लिए टिक का निशान लगाया जाएगा। हाई डेंसिटी मटीरियल का इस्तेमाल करके मेटैलिक मार्कर लगाना चाहिए, ताकि VDU में SWG नंबर साफ़ दिखें।

II. उपयोगी प्रवेश (टेस्ट नंबर 2)

पता करें कि जाने-पहचाने मटीरियल की मोटाई के पीछे किस लेवल की डिटेल्स देखी जा सकती हैं। इस टेस्ट की ज़रूरत यह है कि 24 SWG वायर दूसरे स्टेप वेज (5/16") के नीचे दिखे। (ध्यान दें: यह FAA, USA और DOT UK की ज़रूरत के बराबर है)। लॉग शीट पर टिक करने पर पता चलेगा कि कौन से वायर दिख रहे हैं।

III. मल्टी एनर्जी एक्स-रे (टेस्ट नंबर 3)

मल्टी-एनर्जी X-Ray से अलग-अलग एवरेज एटॉमिक नंबर वाले मटीरियल में फर्क करना मुमकिन होना चाहिए। टेस्ट पीस पर रखे चीनी और नमक के सैंपल और CTP बनाने में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग मटीरियल का इस्तेमाल करके मटीरियल में फर्क करने की सुविधा को चेक किया जाएगा। टिक का निशान यह बताएगा कि चीनी/नमक के सैंपल अलग-अलग रंग में दिखाए गए हैं।

IV. सिंपल पेनेट्रेशन (टेस्ट नंबर 4)

यह टेस्ट बताता है कि मशीन कितनी मोटाई के स्टील में घुस सकती है। CTP पर स्टील स्टेप वेज में 16 mm से 30 mm तक 2 mm के स्टेप होते हैं, जिसमें एक लेड स्ट्रिप होती है ताकि यह चेक किया जा सके कि मशीन ज़रूरत से ज़्यादा है या कम। ज़रूरत यह है कि लेड 35 mm स्टील के नीचे दिखे। लॉग शीट में एक टिक यह बताएगा कि लेड स्ट्रिप और स्टेप वेज के बीच कहाँ अंतर दिख रहा है।

V. स्थानिक विभेदन (परीक्षण संख्या 5)

यह टेस्ट सिस्टम की उन चीज़ों को पहचानने और दिखाने की क्षमता बताता है जो पास-पास हैं। CTP में एक-दूसरे के राइट एंगल पर 16 कॉपर ग्रेटिंग हैं। ज़रूरत यह है कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ग्रेटिंग दिख सके। लॉग शीट में एक टिक यह बताएगा कि ग्रेटिंग में गैप दिख रहे हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

धारा VIII

अनुलग्नक- I

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम -695033

महोदय,

काम का नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

हम ....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्रीमान/सुश्री को नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

....(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और हमारे अटॉर्नी के रूप में ..... का पद धारण कर रहा है, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, शीर्षक परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचना / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

श्रीमान/सुश्री ..... के हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित हैं:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
नाम
बोली लगाने वाले का स्टाम्प/सील **नोट:**

पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प लगा होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिया गया नोटराइज़्ड पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा।

अनुलग्नक- II
उपक्रम

(काम को समझने के लिए टेंडर देने वाले के साइट विज़िट के बारे में)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम -695033

महोदय,

काम का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

हम, _____, ऊपर दिए गए काम के लिए टेंडर देने वाले, कन्फर्म करते हैं कि हमने साइट देखी है और मौजूदा सिस्टम, जो अभी काम कर रहा है, और प्रस्तावित सिस्टम के काम के दायरे की सही जानकारी समझ ली है। हमने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का दायरा और आगे कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के दायरे को समझ लिया है।

आपका विश्वासी,

( )
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(कंपनी का नाम और पता कंपनी की सील के साथ)

तारीख:

अनुलग्नक- III

बोली लगाने वाले के देश के बारे में अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफिकेट के लिए परफ़ॉर्मा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करना

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम -695033

महोदय,
विषय: भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए बिड में भाग लेने के लिए मेसर्स _____ का अंडरटेकिंग लेटर।
मैं / हम ..... (बोलीदाता का नाम) ने 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों / संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले एक देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में जारी किया गया है।
2. उपरोक्त आदेश में उल्लिखित परिभाषाओं और बोलीदाता के संबंध में उसके बाद के संशोधनों के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ..... (बोलीदाता का नाम)
i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और के साथ पंजीकृत है
सक्षम अथॉरिटी, जिसका सर्टिफिकेट साथ में है, या iii. ऐसे देश से है जिसका बॉर्डर भारत के साथ लगता है और जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन दी हैं, या
iv. यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।
(ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।
3. मैं/हम यह सर्टिफ़ाई करते हैं कि ..... (बोली लगाने वाले का नाम) इस बारे में सभी ज़रूरतें पूरी करता है और ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम और उसके बाद के ऑर्डर/रिविज़न के तहत विचार किए जाने के लिए एलिजिबल है। मैं/हम यह भी वादा करता/करते हैं कि मैं/हम ....(बोली लगाने वाले का नाम) ऐसे देश के किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम तब तक सब-कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा/दूँगी जब तक कि वह कॉन्ट्रैक्टर ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम/ऑर्डर के तहत सभी ज़रूरतें पूरी नहीं करता/करती।
4. मैं समझ गया हूँ कि, अगर हमारी तरफ से जमा किया गया यह अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारा टेंडर / वर्क ऑर्डर खत्म करने के लिए आज़ाद होगा। बैंक कानून के मुताबिक कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी आज़ाद होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी / सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए टेंडर में हिस्सा लेने से रोकना शामिल है।
फर्म के ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के सिग्नेचर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ
तारीख:
जगह:

अनुलग्नक- IV

बोली लगाने वाले द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचन का प्रोफ़ॉर्मा

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम -695033

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

हम एतद्द्वारा (उपकरण का नाम)_____को, जो हमारे द्वारा आपके परिसर में लगाया जाएगा, कम से कम सात साल की अवधि के लिए, दोष दायित्व/वारंटी अवधि एक वर्ष की समाप्ति के बाद, संतोषजनक ढंग से बनाए रखने का वचन देते हैं, टेंडर में उद्धृत दरों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियमों और शर्तों पर व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत, जैसा कि टेंडर दस्तावेज़ में दिए गए संबंधित RBI सूचकांक आधारित फॉर्मूले के आधार पर वार्षिक मूल्य संशोधन के प्रावधान के साथ।

हम आपकी संतुष्टि के लिए ऑल-इनक्लूसिव सर्विस देते रहेंगे, टेक्नोलॉजी में खराबी या किसी भी वजह से ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स का इंतज़ाम खुद करेंगे, और ऊपर बताए गए समय के लिए ऑल-इनक्लूसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे बताए गए रेट के अंदर ही काम करेंगे।

आपका विश्वासी,

( )

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(कंपनी का नाम और पता कंपनी की सील के साथ)

तारीख:

अनुलग्नक-V

बयाना राशि जमा करने के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना है)

यह गारंटी डीड आज ___ दो हजार _____ के बीच _____ के दिन बनाई गई

(बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां पर है__(स्थान) और इसका एक स्थानीय कार्यालय (जिसे आगे ज़मानत के रूप में संदर्भित किया जाएगा), और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम, जिसका मुख्य कार्यालय मुख्य कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई -400001 भारत में है (जिसे आगे बैंक के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

जबकि_(निविदाकर्ता का नाम इसके बाद 'निविदाकर्ता' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत पंजीकृत एक कंपनी_और जिसका पंजीकृत कार्यालय में है, वह बयाना राशि INR (_INR) के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है_____(केवल) भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए अपने टेंडर और उसमें दिए गए स्पेसिफिकेशन्स और नियमों व शर्तों के संबंध में।

जबकि निविदाकर्ता खंड क्रमांक के अनुसार._टेंडर देने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन्स और स्पेशल कंडीशंस के सेक्शन II में 1 साल तक की वैलिड बैंक गारंटी देने पर सहमति दी गई है। _____ बयाना राशि नकद जमा करने के बजाय।

अब यह साक्षी है :

1. यह कि निविदाकर्ता द्वारा बैंक को दिए गए उपरोक्त निविदा के विचार में ज़मानत, बिना किसी आपत्ति के बैंक को मांग पर उक्त राशि INR (_INR) के भुगतान की गारंटी देने का वचन देती है। (केवल) इस गारंटी डीड को पेश करने पर बैंक से डिमांड मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर, जिसे टेंडर देने वाला अपने टेंडर के सिलसिले में बयाना के तौर पर बैंक में जमा करने के लिए मजबूर है।

2. यह गारंटी टेंडर देने वाले की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या बैंक, टेंडर देने वाले या ज़मानत देने वाले के खत्म होने या उनके संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी।

3. अगर टेंडर देने वाला अपना टेंडर जमा करने के बाद, अपने ऑफर से पीछे हट जाता है या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसे बदलाव करता है जो बैंक को मंज़ूर नहीं हैं या बैंक के तिरुवनंतपुरम में मेन ऑफिस बिल्डिंग के लिए XBIS के लिए टेंडर देने का फैसला करने के बाद ऑर्डर स्वीकार करने में अपनी मर्ज़ी नहीं दिखाता है, तो बैंक इस गारंटी के तहत कोई भी क्लेम करने के लिए एलिजिबल होगा। इस बारे में बैंक का फैसला आखिरी और ज़रूरी होगा।

4. ज़मानतदार इस गारंटी को इसके चलने के दौरान बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना रद्द नहीं कर सकता है।

5. ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के तहत श्योरिटी की लायबिलिटी INR (सिर्फ़ INR) तक ही सीमित है।

6. यह गारंटी लागू रहेगी और प्रभावी _____ रहेगी
बैंक द्वारा ज़मानतदार को इसकी सूचना दिए जाने पर यह गारंटी खत्म हो जाएगी और बेअसर हो जाएगी, ऐसी हालत में यह गारंटी खत्म हो जाएगी।

7. ज़मानत देने वाला, बैंक द्वारा जारी डिमांड नोटिस के अनुसार पेमेंट करेगा, भले ही टेंडर देने वाले और बैंक या किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विवाद हो या हो।

8. इस टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की तरफ से कोई भी नरमी, काम या चूक, या टेंडर देने वाले के प्रति बैंक की तरफ से कोई नरमी दिखाने से श्योरिटी को किसी भी तरह से छूट नहीं मिलेगी और इस गारंटी के तहत श्योरिटी की ज़िम्मेदारियां तभी पूरी होंगी जब बैंक श्योरिटी को इसकी जानकारी देगा।

9. ऊपर बताई गई किसी भी बात के बावजूद, जब तक इस गारंटी के तहत श्योरिटी से लिखित में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, तब तक श्योरिटी को गारंटी के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

10.श्योरिटी के पास अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के तहत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और जो व्यक्ति इस डीड को पूरा कर रहा है, उसके पास श्योरिटी द्वारा दिए गए पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत ऐसा करने के लिए ज़रूरी अधिकार हैं।

के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित और वितरित
ऊपर बताए गए बैंक के लिए और उसकी ओर से । (बैंकर का नाम और सील)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

अनुलग्नक-VI
सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे गए सही कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जमा करना है)

नहीं।_____ तारीख_____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम -695033

महोदय,

केवल INR ----------) का सिक्योरिटी डिपॉज़िट स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति के बदले में
मेसर्स (जिन्हें आगे "ठेकेदार" ~~कहा जाएगा~~) द्वारा आपके साथ उनके अनुबंध के अनुसार, तिरुवनंतपुरम में भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए, उनकी दिनांकित निविदा और आपके अनुबंध की विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अनुसार, आपके अनुबंध में निर्दिष्ट या निर्धारित शर्तों और परिवर्तनों के अधीन प्रदान किया जाएगा। हमारी ओर से गारंटी के रूप में, जैसा कि नीचे बताया गया है, हम_(बैंक का नाम) इसके द्वारा आपसे इस तरह वादा और सहमति जताते हैं:

1. हम आपको समय-समय पर INR तक हर्जाना देने और हर्जाना देते रहने का वादा करते हैं।_INR (सिर्फ़) किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जो आपको कॉन्ट्रैक्टर की तरफ़ से उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन की वजह से हुआ हो या हो सकता है और अगर कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी काम को करने में या उससे जुड़े किसी भी नियम और शर्तों के सही इरादे और मतलब के हिसाब से पालन करने में कोई चूक करता है, तो हम मांगने पर आपको इतनी रकम या रकमें देंगे जो कुल मिलाकर INR की बताई गई रकम से ज़्यादा नहीं होंगी।_(भारतीय रुपये_(सिर्फ़) जैसा कि आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ़ से ऐसी गलती की वजह से अपने नुकसान और/या डैमेज, कॉस्ट, चार्ज या खर्च के तौर पर क्लेम कर सकते हैं।
2. इसके उलट कुछ भी हो, आपका यह फ़ैसला कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं और आप उसकी वजह से कितनी रकम या रकमों के हक़दार हैं, हम पर लागू होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत अपने दावे या दावों को साबित करने के लिए कहने के हक़दार नहीं होंगे, बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के उसका पेमेंट कर देंगे।
3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और लागू रहेगी जब तक आप कॉन्ट्रैक्टर के एप्लीकेशन पर इसे जारी नहीं कर देते, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटिव गारंटी पीरियड खत्म नहीं हो जाता और कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता और कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पूरा होने का सर्टिफिकेट नहीं दिखा देता और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" जमा नहीं कर देता, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के दिन के बाद लागू नहीं रहेगी।_आपके दावे या दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उक्त तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले उत्पन्न हुए और मांगे गए

या अन्यथा हमें लिखित रूप में सूचित किए गए हैं, जो हमारे विरुद्ध लागू होंगे, भले ही वे उक्त तारीख के बाद लागू हों या लागू किए गए हों।

4. अगर किसी भी वजह से इस गारंटी को बढ़ाना ज़रूरी हुआ, तो हम आपके कहने पर इस गारंटी का समय तब तक बढ़ाने का वादा करते हैं जब तक आपको इसकी ज़रूरत हो। इस बारे में आपका फ़ैसला आख़िरी होगा और हमें मानना होगा।

5. आपको इस गारंटी को प्रभावी किए बिना समय-समय पर उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या ठेकेदार के प्रदर्शन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर ठेकेदार के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को स्थगित करने और उक्त अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम इस गारंटी के तहत उपरोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए किसी भी समय या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार के प्रति किसी रियायत या उक्त अनुबंध या किसी अन्य कार्य, मामले या चीजों में किसी भी बदलाव या संशोधन के कारण हमारी देनदारी से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत लेकिन यहां के प्रावधानों के लिए हमें हमारी देनदारी से मुक्त करने का प्रभाव होगा, बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात हमारी देनदारी को INR (INR____केवल) जैसा कि ऊपर बताया गया है।

6. इस गारंटी पर आपके कॉन्ट्रैक्टर या उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई सिक्योरिटीज़ लेने, बदलने या छोड़ने, या कॉन्ट्रैक्टर के बंद होने, खत्म होने, दिवालिया होने या मौत, जैसा भी मामला हो, से कोई असर नहीं पड़ेगा।

7. इसमें दी गई गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आप कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में ऐसे काम करने के हकदार होंगे जैसे हम आपके मुख्य देनदार हों, जिसकी हमने पहले बताई गई गारंटी दी है और हम इसके द्वारा ज़मानत के अपने सभी अधिकारों और दूसरे अधिकारों को, अगर कोई हों, साफ़ तौर पर छोड़ देते हैं, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी नियम से मेल नहीं खाते हैं।

8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी लायबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट के तहत, यह गारंटी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आपके सभी क्लेम या क्लेम को कवर करेगी, जो समय-समय पर उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े होंगे और जिनके बारे में आपने इस गारंटी के खत्म होने की तारीख से छह महीने पहले हमारे पास लिखकर क्लेम किया है।

9. मांग के तौर पर या किसी और तरह से कोई भी नोटिस स्पेशल कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या रजिस्टर्ड पोस्ट से हमारे बताए गए लोकल पते पर भेजा जा सकता है और अगर पोस्ट से भेजा जाता है, तो उसे पोस्ट किए जाने पर दिया हुआ माना जाएगा।

10.यह गारंटी और इसमें शामिल अधिकार और नियम, हमारी तरफ़ से आपको पहले दी गई किसी दूसरी गारंटी या गारंटियों (चाहे दूसरों के साथ मिलकर या अकेले) के अलावा हैं, न कि उनकी सीमा तय करने या उनकी जगह लेने के लिए हैं और अब बिना कैंसल किए मौजूद हैं और इस गारंटी का मकसद ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है और न ही यह ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करेगी।

11.यह गारंटी कॉन्ट्रैक्टर या हमारे संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी, न ही यह आपके संविधान में किसी भी बदलाव या उसके किसी भी मिलन या एब्जॉर्प्शन से प्रभावित होगी, बल्कि यह एब्जॉर्बिंग या मिलन वाली कंपनी या कंपनी के फायदे के लिए होगी और उसके द्वारा लागू की जा सकेगी।

12.इस टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की तरफ से कोई भी नरमी, काम या चूक या टेंडर देने वाले के प्रति बैंक की तरफ से कोई नरमी दिखाने से ज़मानतदार किसी भी तरह से बरी नहीं होगा और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार की ज़िम्मेदारियां सिर्फ़ ज़मानतदार को इसकी जानकारी दिए जाने पर ही पूरी होंगी।

बैंक द्वारा।

13.यह गारंटी इसके चलने के समय के दौरान इर्रिवोकेबल नहीं है और आपकी पहले से लिखकर मंज़ूरी के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
14.हम आगे इस बात से सहमत हैं और वादा करते हैं कि आपके और कॉन्ट्रैक्टर या किसी दूसरे व्यक्ति के बीच कोई मतभेद, झगड़ा या विवाद होने पर भी, आपके द्वारा लिखकर मांगी गई रकम बिना किसी रुकावट के आपको देंगे।
15.ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी INR तक ही सीमित है। _____(सिर्फ़ INR)। जब तक इस ~~मास्टी के~~ खत्म होने की तारीख से छह महीने के अंदर, जिसमें कोई एक्सटेंशन भी शामिल है, अगर कोई हो, तो इस गारंटी के तहत पेमेंट के लिए हम पर कोई लिखित क्लेम नहीं किया जाता है, तो गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत सभी देनदारियों से मुक्त और डिस्चार्ज माना जाएगा, भले ही ओरिजिनल गारंटी हमें वापस मिले या नहीं।
16.हमारे पास हमारे बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और नीचे साइन करने वाले के पास बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को पूरा करने का पूरा अधिकार है।

हस्ताक्षरित और वितरित
ऊपर बताए गए बैंक के लिए और उसकी ओर से)

के लिए और की ओर से (बैंकर का नाम और सील)
शाखा प्रबंधक
(बैंकर की मुहर)
पता_____

अनुलग्नक- VII

पेटेंट अधिकारों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)
को,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
तिरुवनंतपुरम -695033

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

हम, मेसर्स _____ (कॉन्ट्रैक्टर का नाम) इसके द्वारा किसी भी पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के खिलाफ नियोक्ता यानी भारतीय रिजर्व बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति बनाए रखने का वचन देते हैं और अनुबंध में शामिल किसी भी वस्तु या उसके भाग के संबंध में देय किसी भी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि या उसके संबंध में कानूनी रूप से होने वाले सभी प्रकार के नुकसान, लागत और शुल्क का भुगतान स्वयं करेंगे।

ऊपर बताए गए किसी भी मामले के संबंध में एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई दावा किए जाने या कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, हमें इसकी सूचना मिलने पर, हम अपने खर्च पर, किसी भी विवाद को सुलझाएंगे या उससे होने वाले किसी भी मुकदमे को चलाएंगे, बशर्ते कि अगर पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा पारित आदेश का सीधा नतीजा है, तो हम एम्प्लॉयर को हर्जाना देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

आपका विश्वासी,

के लिए _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ठेकेदार का नाम और पता: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:
तारीख:
जगह:

अनुलग्नक- VIII

प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित मुख्य स्टाफ़ का बायोडेटा

(बोली लगाने वाले को इसे भरना है और पार्ट-I के साथ जमा करना है)

काम का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

स्टाफ का नाम		
पद का नाम		
वर्तमान में कार्यरत फर्म का नाम		
फर्म के साथ वर्षों		
प्रस्तावित पद (ज़िम्मेदारी का स्तर भी बताएं)		
असाइन किए गए टास्क की डिटेल्स		
मैन- दिए गए काम के लिए बजट में रखे गए महीने		
मुख्य योग्यताएं (तकनीकी और सामान्य)		
शिक्षा		
पेशेवर निकायों में सदस्यता		
अनुभव और ट्रेनिंग (दिए गए काम के हिसाब से)		
रोजगार रिकॉर्ड		
फर्म का नाम	ग्रहित पद	रोजगार के वर्ष

<u>पिछले 5 सालों में किए गए इसी तरह के कामों (XBIS सिस्टम) की जानकारी</u> <u>(हर एक काम की लागत 15 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है)</u>

क्रमांक।	फर्म (क्लाइंट) का नाम, पूरा पता और कॉन्टैक्ट नंबर/फैक्स वगैरह के साथ	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य	पूरा करने की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	रिमार्क्स (XBIS सिस्टम के लिए OEM का मेक।)

ठेकेदार का नाम और पता: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:
तारीख:

अनुलग्नक- IX

बोली लगाने वाले के काम के बारे में क्लाइंट के सर्टिफ़िकेट का फ़ॉर्मैट

ग्राहक का नाम और पता

मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1. काम का नाम और छोटी जानकारी

2. अनुबंध संख्या और दिनांक

3. अनुबंध राशि

4. कार्य शुरू करने की तारीख

5. पूरा होने की निर्धारित तिथि

6. पूरा होने की वास्तविक तिथि

7. देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े की जानकारी (अगर कोई हो तो रकम बताएं)

8. पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल रकम

9. उस अथॉरिटी का नाम और पता जिसके तहत काम किया गया
क्या कॉन्ट्रैक्टर ने काम करते समय क्वालिफाइड इंजीनियर/ओवरसियर को काम पर रखा था?

10.
i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब.

ii) कम रेट पर पेमेंट किया गया काम का अमाउंट, अगर कोई हो।

11. i) क्या कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्रेशन के लिए गया था?
अगर हाँ, तो क्लेम की कुल रकम
ii) कुल दी गई राशि

12. कॉन्ट्रैक्टर की क्षमताओं पर कमेंट्स
a) तकनीकी दक्षता उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

b) वित्तीय सुदृढ़ता उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

c) पर्याप्त टी एंड पी का जुटाव उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
d) जनशक्ति का जुटाव उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
e) सामान्य व्यवहार शानदार/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए

रिपोर्टिंग अधिकारी* कार्यालय की मुहर के साथ

*प्रतिहस्ताक्षरित
*एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या समकक्ष रैंक का अधिकारी

अनुलग्नक- X
बैंकर सर्टिफिकेट का प्रारूप

1. फर्म की बनावट (चाहे पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोप्राइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड हो।)

2. फर्म के मालिक / पार्टनर्स / डायरेक्टर्स का नाम।

3. पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में फर्म का टर्नओवर (साल के हिसाब से)।

   2025 - 2026
   2024 – 2025
   20 23 – 2024

4. फर्म को मिलने वाली क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा

5. लेन-देन

6. वह समय जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।

7. कोई और टिप्पणी।

आप अपनी राय भी भेज सकते हैं कि क्या ऊपर बताई गई फर्म को Rs.15.00 लाख के अनुमानित खर्च वाले काम का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फाइनेंशियली ठीक माना जाता है।

मुहर और हस्ताक्षर

बैंक नोट के लिए:
1. बैंकर सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम-695033के पते पर अपलोड किया जाना चाहिए।
2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, सर्टिफिकेट में बैंक में दर्ज सभी पार्टनर्स के नाम होने चाहिए।

खंड-X

बिना मूल्य का मात्रा बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

क्रमांक	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	इकाई
ए	निविदा भाग-I में दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार, दो व्यूइंग मॉनिटर, इनपुट आउटपुट रोलर, स्टेबलाइजर/UPS, कंबाइंड टेस्ट पीस (CTP)/टेस्ट बैग वगैरह जैसे एक्सेसरीज़ के साथ 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली की SITC।	01	तय करना
बी	डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा होने के बाद हर साल रुपये में कॉम्प्रिहेंसिव AMC चार्ज, जिसमें टेंडर पार्ट-I के क्लॉज 3.15 में बताए गए सभी टैक्स शामिल हैं।	01	तय करना
सी	सभी एक्सेसरीज़ सहित पुराने XBIS पर छूट	01	तय करना
	कुल [A +(B x MF)-C]		

टेंडर्स का मूल्यांकन सिस्टम की नेट ओनिंग कॉस्ट (टोटल कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप) के आधार पर किया जाएगा , जिसमें सिस्टम की कैपिटल कॉस्ट (A) शामिल होगी और एक साल के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के खत्म होने के बाद 7 साल के समय के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस चार्ज (AMC) के लिए दिए गए रेट्स के असर और सभी एक्सेसरीज़ सहित पुराने XBIS के रिबेट को ध्यान में रखा जाएगा ।

स्वामित्व की कुल लागत = पूंजीगत लागत + 5.6321* एएमसी दर – पुरानी इकाई की छूट

संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

(ई-टेंडरिंग)

भाग II

मूल्य बोली

निविदाकर्ता का नाम_____

पता _____

प्री-बिड मीटिंग की तारीख और समय: _____,

निविदा ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख: _____

संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन के लिए एक नंबर 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली के डिजाइन सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग

क्रमांक	**वस्तुओं का विवरण**	**मात्रा**	**इकाई**	**दर (₹)**	**राशि (₹)**
ए	निविदा भाग-I में दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार, 3D व्यू X-Ray बैगेज निरीक्षण प्रणाली का SITC, जिसमें दो व्यूइंग मॉनिटर, इनपुट आउटपुट रोलर, स्टेबलाइजर/UPS, कंबाइंड टेस्ट पीस (CTP)/टेस्ट बैग वगैरह जैसी एक्सेसरीज़ शामिल हैं। (GST मिलाकर)	01	तय करना		
बी	निविदा भाग-I के क्लॉज़ 3.15 में बताए गए सभी टैक्स सहित, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा होने के बाद हर साल रुपए में पूरे एएमसी चार्ज (जीएसटी सहित) *एएमसी के चलने के दौरान मौजूदा जीएसटी पर भी विचार किया जाएगा।*	01	तय करना		
सी	पुराने XBIS पर सभी एक्सेसरीज़ के साथ छूट (GST सहित)	01	तय करना		
डी	कुल [A +(B x MF)-C]				

एमएफ= 5.6321

स्वामित्व की कुल लागत = पूंजीगत लागत + 5.6321* एएमसी दर – पुरानी इकाई की छूट

निविदा पार्ट- I के क्लॉज़ 3.16 के अनुसार निविदा का मूल्यांकन